लखनऊ विकास प्राधिकरण

की बैठक दिनांक 14.5.80

को

कार्य सूची

लखनऊ विकास प्राधिकरण

6, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग,

ल ख न ऊ

विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 14-5-1980 के पूर्वान्ह 10-30 बजे होने वाली बैठक की

कार्य - सूची

स्थान: आयुक्त लखनऊ मण्डल कार्यालय कक्ष।

क्रम सं०	विषय	पृष्ठ संख्या
1-	विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 9-4-1980 के कार्यवृत का पुष्टिकरण।	1
2-	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 9-4-1980 में लिए गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	10
3-	बजट में प्रस्तावित वित्तीय एंव भौतिक लक्ष्यों के विरूद्ध प्रगति आख्या।	16
4-	लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को प्रशासकीय अधिकारों के प्रतिनिधायन के सम्बन्ध में।	19
5-	अलीगंज आवासीय योजना के द्वितीय चरण में सेक्टर "एन" में जनसंख्या के घनत्व तथा मार्गों की चौड़ाई उत्तर प्रदेश बिल्डिंग आपरेशन एक्ट, 1958 में निर्धारित चौड़ाई से कम करने के सम्बन्ध में।	23
6-	लक्ष्मण टीले के पीछे लखनऊ विकास प्राधिकरण के अतिथि गृह के निर्माण के सम्बन्ध में।	24
7-	लखनऊ विकास प्राधिकरण में दोहरी लेखा प्रणाली लागू करने के सम्बन्ध में।	26
8-	लखनऊ नगर में रैन बसेरा स्थापित करने के सम्बन्ध में।	30
9-	विष्णु पुरी कालोनी में सीवर लाइन से छूट देने के सम्बन्ध में।	31
10-	कोआपरेटिव सोसाइटीज एंव कालोनाइजर द्वारा प्लान पर तकनीकी रूप से स्वीकृत प्राप्त करने के पश्चात विकास कार्य हेतु एग्रीमेन्ट न करने तथा विकास व्यय न जमा करने के कारण उत्पन्न स्थिति पर विचार।	32
11-	किराया क्रय पद्धति के आधार पर अधिकारियों को भवन आवंटित करने के सम्बन्ध में।	33
12-	लखनऊ विकास प्राधिकरण का मूल बजट वर्ष 1980-81	35
13-	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।	

========:::: 0000 :::: =========

एम/आर xxx

विषय संख्या: १   पृष्ठ संख्या: १

विषय:

लखनऊ विकास प्राधिकरण
की बैठक दिनाँक 9-4-1980
के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।

x=x=x=x=x=

विकास प्राधिकरण की
बैठक दिनाँक 9-4-1980
का कार्यवृत्त पुष्टिकरण
हेतु प्रस्तुत है ।

=====:::: 0000 ::::======

एम/आर xxx

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 9-4-1980, जो आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के कार्यालय में हुई, का कार्यवृत्त

- : 0 : -

उपस्थित :

1-	श्री योगेन्द्र नारायण	- कार्यवाहक अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं जिलाधिकारी, लखनऊ ।
2-	श्री राधे कृष्ण गुप्त	- उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण ।
3-	श्रीमती माधुरी श्रीवास्तव	- संयुक्त सचिव, उ0प्र0 शासन, आवास एवं नगर विकास विभाग, विधान भवन, लखनऊ ।
4-	श्री जयन्ती प्रसाद दुबे	- मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
5-	श्री उमा कान्त	- प्राविधिक सलाहकार, आवास सचिवशाखा, उ0प्र0 शासन ।
6-	श्री ओ0पी0 विश्नोई	- महाप्रबन्धक (प्र0 एवं नि0) उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ ।
7-	श्री ज्ञानेन्द्र नाथ निगम	- सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ ।
8-	श्री करुणा शंकर वाजपेयी	- सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ ।
9-	श्री एम0ए0 लारी	- सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ ।

अन्य उपस्थित:

1-	श्री डी0एस0वर्मा	- सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण

अन्य विषय: श्री बाल कृष्ण चतुर्वेदी, भूतपूर्व उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण में किये गये कार्यों के लिये सराहना ।

पारित प्रस्ताव:

अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं सदस्यों ने विचार व्यक्त किया कि श्री बाल कृष्ण चतुर्वेदी भूतपूर्व उपाध्यक्ष का लखनऊ विकास कार्य में प्रशंसनीय योगदान रहा है । इसे दृष्टिगत रखते हुए निम्न प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया:-

"" लखनऊ विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष के रूप में श्री बाल कृष्ण चतुर्वेदी की सेवाओं की सराहना करता है ।""

क्रमश:---2

विषय संख्या:1	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 2-2-1980 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।
पारित प्रस्ताव:	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 2-2-1980 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी ।
विषय संख्या:2	लखनऊ विकास प्राधिकरण की दिनांक 24-11-1979, 22-12-1979 एवं 2-2-1980 की बैठकों में लिये गये निर्णयों पर अनुपालन आख्या ।
पारित प्रस्ताव:	अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया तथा निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 28-9-1979 के कार्यवृत्त की निम्न संशोधन के साथ पुष्टि की गई थी :-

2·1 "विषय संख्या-2 में पारित प्रस्ताव-1 के स्थान पर अब निम्नलिखित वाक्य लिखा जाये :-

विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि उक्त भूमि अर्जन से मुक्त न की जाय तथा डा० टण्डन को उनकी इस अर्जित भूमि में से 25 प्रतिशत भूमि पिछले निर्धारित नियमों व दरों व शर्तों पर आवण्टित कर दी जाये ।"

निर्णय लिया गया कि की जा रही कार्यवाही को स्पष्ट किया जाये तथा 15 दिन के अन्दर डा० टण्डन को उनकी अर्जित भूमि में से 25 प्रतिशत भूमि पिछले निर्धारित नियमों, दरों व शर्तों पर आवण्टित कर दी जाये ।

2·2 विषय संख्या-6क में अब निम्नलिखित पैरा भी जोड़ दिया जाये :-

"उत्तर प्रदेश जल निगम को स्कीम की कास्ट पर हाता रसूल खाँ में भूमि दे दी जाये तथा विषय संख्या 6ख के पारित प्रस्ताव के क्रम संख्या-ख के बाद एक क्रमसंख्या-ग भी जोड़ दिया जाये, जो निम्न प्रकार से होगा :-

"विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं की भूमि छोड़े जाने एवं विस्थापितों हेतु गाइड-लाइन्स तैयार करने हेतु एक उप-समिति गठित की जाती है, जिसमें उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, श्री ज्ञानेन्द्र नाथ निगम, सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं श्री एम०ए० लारी, सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण और आयुक्त एवं सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन अथवा उनके द्वारा निर्दिष्ट प्रतिनिधि सदस्य होंगे । यह उप-समिति अपनी रिपोर्ट विकास प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत करेगी ।"

क्रमश:--- 3·

4

निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अनुपालन आगामी बैठक में रखा जाय ।

2.3 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 28-9-1979 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या :-

तालकटोरा रोड स्थित भूखंड संख्या-4, जिसका भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में प्राधिकरण ने रिपोर्ट माँगी थी, निर्णय लिया गया था कि :-

क- पत्रावली खोने के बारे में जाँच की जाये व जिम्मेदारी निर्धारित की जाय तथा जिम्मेदार कर्मचारी को दण्डित किया जाये ।

ख- उक्त पत्रावली पुन: रिकान्स्ट्रक्ट की जाय ।

ग- मूल प्रस्ताव अलग से प्रस्तुत किया जाय ।

निर्णय लिया गया कि उपरोक्त में से प्रत्येक विन्दु पर रिपोर्ट 15 दिन के अन्दर उपाध्यक्ष को प्रस्तुत की जाय ।

2.4 नजूल कमेटी द्वारा लिये गये निर्णयों का अनुपालन ।

निर्णय लिया गया कि कलेक्टरेट में नक्शे एवं अभिलेख पूर्ण करने के लिये समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाय तथा अमीन आदि की जो नियुक्ति बाकी हो उसे शीघ्र किया जाये । एक वार्ड में सर्वे का समय बद्ध कार्य प्रारम्भ कराया जाये । नजूल कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार शीघ्र कार्यवाही की जाये ।

2.5 नगर की दूर बसी हुई आबादियों से चारबाग स्टेशन तक यातायात की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए आटो-रिक्शा की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में 24-11-1979 की प्राधिकरण की बैठक में निर्णय लिया गया था कि निर्धारित शर्तों के साथ प्रथम चरण में 50 आटो-रिक्शा क्रय किये जायें ।

निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के सम्बन्ध में 15 दिन के अन्दर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये ।

2.6 "अ" सेक्टर "एल" अलीगंज योजना द्वितीय चरण में जनसंख्या के घनत्व पार्क का क्षेत्रफल कम करने तथा मार्गों की चौड़ाई कम करने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया था कि इस मामले में अध्ययन के उपरान्त शासन को प्रस्ताव भेज दिया जाय ।

"ब" अलीगंज योजना के द्वितीय चरण में सेक्टर "एम" में जनसंख्या का घनत्व 285 व्यक्ति प्रति एकड़, पार्क का क्षेत्रफल 6.30 प्रतिशत तथा पाथवेज़ की चौड़ाई 15 फुट रखने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया था कि

---4

इस मामले में अध्ययन के उपरान्त शासन को रिपोर्ट भेज दी जाये ।

"स" अलीगंज आवासीय क्षेत्र के व्दितीय चरण में सेक्टर "एन" में जनसंख्या का घनत्व 373 व्यक्ति प्रति एकड़, पार्क का क्षेत्रफल 8 प्रतिशत तथा पाथवेज़ की चौड़ाई 15 फुट रखने के सम्बन्ध में भी निर्णय लिया गया कि इस मामले में अध्ययन के उपरान्त शासन को प्रस्ताव भेज दिया जाये ।

निर्णय लिया गया कि कृत कार्यवाही का विस्तृत अगली बैठक में अनुपालन आख्या में दिया जाये ।

2·7 ओल्ड पोस्ट आफिस कामर्शियल काम्पलेक्स की स्केच एवं वर्किंग ड्राइंग तैयार करने के लिये रू0 2·34 लाख मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्रस्तावित फीस के भुगतान का निर्णय लिया गया था ।

निर्णय लिया गया कि नगर नियोजन विभाग को उपरोक्त भुगतान शीघ्र किया जाये ।

2·8 प्राधिकरण की बैठक दिनांक 24-11-1979 में निर्णय लिया गया था कि लखनऊ नगर का प्रमाणिक मानचित्र तैयार करने हेतु सर्वेक्षण के सम्बन्ध में समस्या का अध्ययन करके प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये ।

निर्णय लिया गया कि दिनांक 30-4-1980 के पहले उपाध्यक्ष को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाय तथा विषय अगली बैठक में रखा जाये ।

2·9 सिण्डर्स डम्प योजना के अन्तर्गत निर्मित की गई दुकानों के निस्तारण के सम्बन्ध में ।

निर्णय लिया गया कि सिण्डर्स डम्प योजना के अन्तर्गत निर्मित 38 दुकानों के आवन्टन की कार्यवाही शीघ्र की जाये ।

2·10 प्राधिकरण के कर्मचारियों व्दारा वाहनों का निजी प्रयोग में लिये जाने के प्रश्न पर सदस्यों व्दारा यह विचार व्यक्त किया गया कि कर्मचारियों व्दारा प्राधिकरण के वाहनों के निजी प्रयोग का प्रश्न नहीं उठता है ।

2·11 भूखण्ड संख्या-3 मोतीझील सा मिल योजना के अन्तर्गत आवन्टन के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया था कि इस सम्बन्ध में यदि शासन व्दारा कोई निर्णय लिया गया है तो इसकी स्थिति ज्ञात कर ली जाये तथा विधि राय एवं शासन के आदेशों को दृष्टिगत रखते हुए उपाध्यक्ष इस पर अन्तिम निर्णय ले लें ।

उपरोक्त के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि उपाध्यक्ष के समक्ष दिनांक 25-4-1980 तक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाये ।

क्रमशः:----5

2.12 तालकटोरा रोड स्थित भूखण्ड संख्या-4 का लखनऊ महायोजना में भू-उपयोग परिवर्तन के एवं तत्सम्बन्धी विषय पर नीति निर्धारण के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया था कि प्रस्तावानुसार भू-उपयोग परिवर्तन करने की संस्तुति की जाती है तथा संस्तुति शासन को प्रेषित कर दी जाये।

निर्णय लिया गया कि यह दर्ज किया जाये कि शासन को संस्तुति कब भेजी गई तथा शासन से शीघ्र आदेश प्राप्त किये जायें तथा इस सम्बन्ध में शासन को स्मरण भी कराया जाये।

2.13 प्रथम चरण में निर्मित नक्खास मार्केट की दूकानों के समक्ष निर्मित पार्क को हटाकर खड़न्जे या फर्श लगाने का कार्य प्राधिकरण के व्यय पर कराने का निर्णय लिया गया था।

निर्णय लिया गया कि पार्क को हटाकर खड़न्जे अथवा फर्श लगाने का कार्य शीघ्र कराया जाये।

2.14 लखनऊ नगर में कुर्सी रोड पर कैटिल कालोनी की स्थापना के सम्बन्ध में विकास प्राधिकरण द्वारा कुछ गाइड-लाइन्स निर्धारित की गई थी तथा कैटिल कालोनी की स्थापना के लिये आवश्यक कार्यवाही करने के लिये निर्देश दिये गये थे।

निर्णय लिया गया कि कृत कार्यवाही से अगली बैठक में अवगत कराया जाये।

<u>विषय संख्या:3</u> बजट में प्रस्तावित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों के विरुध्द प्रगति-आख्या।

<u>पारित प्रस्ताव:</u> स्थगित

<u>विषय संख्या:4</u> कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत ट्रान्सपोर्ट नगर योजना में भूखण्डों के विक्रय एवं ट्रान्सपोर्टर्स एसोसियेशन के प्रत्यावेदन के सम्बन्ध में निर्णय

<u>पारित प्रस्ताव:</u> लखनऊ ट्रक ट्रान्सपोर्टर्स ऐसोसियेशन के अध्यक्ष के पत्र दिनांक 15-3-1980 में उल्लिखित आपत्तियाँ तथा उनपर टिप्पणियों का प्राधिकरण ने अवलोकन किया तथा निम्न निर्णय लिये:-

4.1 जिन व्यक्तियों ने ट्रान्सपोर्ट नगर में विक्रय के लिये उपलब्ध भूखण्डों के लिये रजिस्ट्रेशन कराया है, उनके प्रार्थनापत्रों को स्क्रूटनाइज़ करके उन्हे भूखण्ड आवन्टन की कार्यवाही की जाये।

क्रमशः:----6

4.2 समाचार पत्रों में ट्रान्सपोर्ट नगर के भूखण्डों के रजिस्ट्रेशन हेतु पुन: विज्ञापन दिया जाये ।

4.3 रजिस्ट्रेशन के लिये फार्म एवं विवरण-पुस्तिका सीधे प्रार्थियों को ही दी जाये किसी अन्य माध्यम से नहीं ।

4.4 इस मामले में विधिक राय ली जाय कि गुड्स ट्रान्सपोर्टस वेहिकिल्स को किस प्रकार ट्रान्सपोर्ट नगर में जाने के लिये बाध्य किया जा सकता है ?. यदि आवश्यक हो तो उपरोक्त उपलब्धियों के लिये अधिनियमों में भी संशोधन कराया जाये ।

विषय संख्या:5

लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को प्रशासकीय अधिकारों का प्रतिनिधायन के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव: स्थगित

विषय संख्या:6

अलीगंज आवासीय योजना के व्दितीय चरण में सेक्टर "एन" के जनसंख्या के घनत्व तथा मार्गों की चौड़ाई उत्तर-प्रदेश बिल्डिंग आपरेशन ऐक्ट 1958 में निर्धारित चौड़ाई से कम रखने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव: स्थगित

विषय संख्या:7

लक्ष्मण टीले के पीछे लखनऊ विकास प्राधिकरण के अतिथि-गृह के निर्माण के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव: स्थगित

विषय संख्या:8

लखनऊ विकास प्राधिकरण में दोहरी लेखा प्रणाली लागू करने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव: स्थगित

विषय संख्या:9 लखनऊ विकास प्राधिकरण का मूल बजट वर्ष 1980-81

पारित प्रस्ताव: लखनऊ विकास प्राधिकरण के मूल बजट 1980-81 पर विचार-विमर्श किया गया था तथा निम्न निर्णय लिये गये :-

क्रमश:----7

9·1 बजट को निम्न बिन्दुओं का ध्यान रखते हुए पुन: रिकास्ट किया जाये:-

अ- बजट हाई-लाइट्स को सही ढंग से प्रस्तुत किया जाये ।

ब- बजट ऐट ए ग्लान्स स्पष्ट रूप से रखा जाये ।

स- 31-3-1980 तक का वास्तविक आय-व्यय भी बजट में दिखाया जाये ।

द- आय व्यय के प्रमुख मदों को सन्दर्भित करते हुए (Explanatory memos) भी दिये जायें ।

9·2 यह भी निर्णय लिया गया कि बजट पर विचार करने के लिये दिनांक 28-4-1980 के पूर्वान्ह 11-30 बजे लखनऊ विकास प्राधिकरण के समिति कक्ष में पुन: बैठक का आयोजन किया जाय ।

9·3 बजट की स्वीकृति की प्रत्याशा में आवर्तक तथा आवश्यक अनावर्तक व्यय उपाध्यक्ष प्राधिकरण की अगली बैठक होने तक करते रहें ।

<u>विषय संख्या:10</u>

अलीगंज योजना, मोतीझील योजना तथा कानपुर रोड योजना के लिये हडको व्दारा स्वीकृत ऋणों के आहरण हेतु ऋण लेने का प्रस्ताव लखनऊ विकास प्राधिकरण में स्वीकृत होना है साथ ही साथ ऋण अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने एवं कामन सील के प्रयोग हेतु सचिव लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत करने का प्रस्ताव भी आवश्यक है । तदनुसार प्रस्ताव लखनऊ विकास प्राधिकरण के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है ।

<u>पारित प्रस्ताव:</u>

हाउसिंग ऐण्ड अरबन डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन, नई दिल्ली व्दारा अलीगंज आवास योजना एवं मोतीझील आवास योजना के लिये ऋण की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है तथा कानपुर रोड योजना की स्वीकृति भी शीघ्र ही प्राप्त हो जाने की आशा है । उपरोक्त योजनाओं के विवरण निम्न प्रकार हैं :-

योजनायें	शुद्ध ब्याज की दर	अलीगंज योजना	मोतीझील योजना	कानपुर रोड योजना	योग
1	2	3	4	5	6
1-दुर्बल आय वर्ग	5%	500	328	224	1052
2-अल्प आय वर्ग	7%	200	-	202	402
3-साइट-सर्विसिज़	4%	800	-	233	1033
ऋण की धनराशि (लाखों में)	-	79·92	22·63	49·36	151·91

--------8

अत: लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा हडको से उपरोक्त योजनाओं के लिये कुल रु० 151.91 लाख का ऋण लेने की अनुमति प्रदान की जाती है । उक्त ऋण हेतु शासन से गवर्नमेन्ट गारन्टी लेने की भी अनुमति प्रदान की जाती है । जिसके लिये विकास-प्राधिकरण काउन्टर गारन्टी देने के लिये सहमत है । हडको से अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने एवं कामन सील का प्रयोग करने के लिये सचिव, विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया ।

ह० ध्यान सिंह वर्मा
(ध्यान सिंह वर्मा)
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

अ नु मो दि त
x=x=x=x=x=x

ह० योगेन्द्र नारायण
(योगेन्द्र नारायण)
कार्यवाहक अध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण
ल ख न ऊ ।

दिक्षित/रज़ा

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 9-4-1980 से पूर्व की बैठकों में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या ।

x=x=x=x=x

विषय संख्या	विषय	निर्णय	कृत कार्यवाही
2.1	डा०टन्डन को अलीगंज मार्ग एवं नगर प्रसार योजना में भूमि आवन्टन के सम्बन्ध में ।	उक्त भूमि अर्जन से मुक्त न की जाये तथा डा०टन्डन को इस अर्जित भूमि में से 25 प्र०श०भूमि में पिछले निर्धारित नियमों, दरों व शर्तों पर आवन्टित कर दी जाये ।	डा०टन्डन को जहाँ भूमि दी जानी है उस स्थान के ले-आउटपर डा०टन्डन की भूमि मार्क कर दी गई है तथा उसमें से एक चौथाई भूमि को भी मार्क कर दिया गया है सम्पत्ति अधिकारी व्दारा नियमानुसार आवन्टन करके आवन्टन आदेश भेजे जा रहे हैं ।
2.2	उत्तर प्रदेश जल निगम को हाता रसूल खाँ में भूमि के आवन्टन के सम्बन्ध में ।	उत्तर प्रदेश जल-निगम को हाता रसूल खाँ स्कीम की कास्ट पर भूमि दे दी जाये तथा विषय संख्या-6 के पारित प्रस्ताव के क्रम संख्या-ख के बाद एक क्रम संख्या-ग भी जोड़ दिया जाये । विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं की भूमि छोड़े जाने एवं विस्थापितों हेतु गाइड लाइन्स तैयार करने हेतु एक उप-समिति गठित की जाती है, जिसमें उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, श्री ज्ञानेन्द्र नाथ निगम, सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं श्री एम०ए०लारी, सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण और आयुक्त एवं सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन अथवा उनके व्दारा निर्दिष्ट प्रतिनिधि सदस्य होगें । यह उपसमिति अपनी रिपोर्ट विकास प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत करेगी ।"	श्री ओ०पी०विश्नोई मुख्य अभियन्ता(पूर्व) को हाता रसूल खाँ में जल निगम को स्कीम की कास्ट पर भूमि देने की सूचना दी जा चुकी है । दूसरे भाग में लिये गये निर्णय का अनुपालन कर दिया गया है । उक्त उप-समिति की बैठक हो चुकी है ।वान्छित सूचना उपलब्ध हो जाने पर यह विषय प्राधिकरण के समक्ष आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा ।

क्रमशः--2

2:3	तालकटोरा रोड स्थिति भूखण्ड संख्या-4 का भू-उपयोग परिर्वतन करने के सम्बन्ध में ।	क-पत्रावली खोने के बारे में जाँच की जाये व जिम्मेदारी निर्धारित की जाये तथा जिम्मेदार कर्मचारी को दण्डित किया जाये । ख-उक्त पत्रावली पुन: रिकान्स्ट्रक्ट की जाये । ग- मूल प्रस्ताव अलग से प्रस्तुत किया जाये ।	इस सम्बन्ध में वरिष्ठ नगर नियोजक को जाँच सौंपी गई है जो प्रगति पर है तथा शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी । पत्रावली रिकान्स्ट्रक्ट करने का कार्य नगर-अभियन्ता(भवन) को सौंपा गया था यह प्रगति पर है अनुपालन सहित मूल-प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा ।
2:4	नजूल कमेटी द्वारा लिये गये निर्णयानुसार कार्य करने के सम्बन्ध में ।	निर्णय लिया गया कि कलेक्ट्रेट में नक्शों एवं अभिलेख पूर्ण करने के लिये समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाये तथा अमीन आदि की जो नियुक्ति बाकी हो, उसे शीघ्र किया जाये एक वार्ड में सर्वे का समयबद्ध कार्य प्रारम्भ कराया जाये । नजूल कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार शीघ्र कार्यवाही की जाये ।	नजूल कमेटी की संस्तुति के अनुसार निम्न कार्यवाही की जा रही है:- 1-एक तहसीलदार, एक ना0तहसीलदार एक सुपरवाइजर कानूनगो, 6 लेखपाल-/अमीन नियुक्त किये जा चुके हैं तथा 6 लेखपाल/अमीन की भर्ती के लिये और कार्यवाही की जा रही है क्योंकि पुराने नियुक्त व्यक्तियों से कार्यभार ग्रहण नहीं किया है । 2- कलेक्ट्रेट के रिकार्ड रूम से फटे पुराने खसरों व नक्शों की नकल की जा रही है अबतक 16 खसरे व 6 नक्शे तैयार किये जा चुके हैं । इस कार्य को समाप्त करने के लिये नजूल अधिकारी को आदेश दे दिये गये हैं कि वह 31 जुलाई तक नक्शे व खसरे तैयार करने का कार्य पूर्ण करा दें ।

क्रमश:--3

			सर्वे का कार्य ग्राम रामनगर एवं यासीन नगर में प्रारम्भ कर दिया गया है । नगर में कुल नजूल भूमि लगभग 501 बीघा है । आशा की जाती है कि 30 नवम्बर 1980 तक नगर में स्थित पूर्ण नजूल भूमि के सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो जायेगा । नबीउल्ला रोड के दोनों तरफ़ उपलब्ध नजूल भूमि की आवासीय योजना बना दी गई है तथा जिलाधिकारी को अधिग्रहण हेतु कागज़ात भेज दिये गये हैं । शासन को लिख दिया गया है कि वह नजूल मैनुअल/अबर्न प्लानिंग एवं डेवलपमेन्ट ऐक्ट तथा पब्लिक प्रिमिसेज़ ऐक्ट में इस प्रकार का संशोधन कर दें कि नजूल भूमि पर हुए अतिक्रमणों को बलपूर्वक हटाया जा सके ताकि न्यायालय में शरण न लेनी पड़े तथा यदि आवश्यक्ता पड़े तो पुलिस की मदद लेकर हटाया जा सके ।
2.5	नगर की दूर बसी आबादियों में प्राधिकरण द्वारा आटो-रिक्शा की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में ।	नगर की दूर बसी हुई आबादियों से चारबाग़ स्टेशन तक यातायात की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए आटो-रिक्शा की, व्यवस्था करने के सम्बन्ध में 24-11-1979 की प्राधिकरण की बैठक में निर्णय लिया गया था कि निर्धारित शर्तों के साथ प्रथम चरण में 50 आटो-रिक्शा क्रय किये जायें ।	50 आटो रिक्शा चलाने के लिये यूनाइटेड कामo बैंक से सहमति प्राप्त हो गई है । यूको बैंक 75% ऋण उपलब्ध करायेगा । व्यक्तियों से अग्रिम धन के साथ प्रार्थनापत्र प्राप्त करने हेतु विज्ञापन दिया जा रहा है ।
2.6	अलीगंज आवासीय क्षेत्र के तृतीय चरण में सेक्टर एन में जनसंख्या का घनत्व 373 व्यक्ति प्रति एकड़ पार्क का क्षेत्रफल 8 प्रतिशत तथा पाथवेज़ की चौड़ाई 15 फिट रखने के सम्बन्ध में	अ: सेक्टर एल अलीगंज योजना द्वितीय चरण में जनसंख्या के घनत्व पार्क का क्षेत्रफल कम करने तथा मार्गों की चौड़ाई कम करने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया था कि इस मामले में अध्ययन के उपरान्त	प्राधिकरण की बैठक दिनांक 9-4-80 में दिये गये निर्देशानुसार अलीगंज विस्तार योजना के सेक्टर एन के ले-आउट प्लान में उन सभी वस्तुओं का समावेश किया गया है जो निर्देश में दिये गये थे

---- 4

1	2	3
	निर्णय लिया गया था कि इस मामले में अध्ययन के उपरान्त शासन को प्रस्ताव भेज दिया जाये ।	अब पुनः ले-आउट प्लान में घनत्व एवं सड़कों की चौड़ाई में की गई कमी को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है । जनसंख्या के अनुसार खाली स्थान रखा गया है । आगे इस प्रकार पार्क का क्षेत्रफल निर्धारित क्षेत्रफल से बढ़ जाता है प्राधिकरण की अगली बैठक में यह प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है । सेक्टर एल और एम का ले-आउट प्लान आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा ।
	ब- अलीगंज योजना के द्वितीय चरण में सेक्टर एम में जनसंख्या का घनत्व 285 व्यक्ति प्रति एकड़, पार्क का क्षेत्रफल 6·30 प्रतिशत तथा पाथवेज़ की चौड़ाई 15 फुट रखने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया था कि इस मामले में अध्ययन के उपरान्त शासन को रिपोर्ट भेज दी जाये ।	
	स- अलीगंज आवासीय क्षेत्र के द्वितीय चरण में सेक्टर "एन" में जनसंख्या का घनत्व 373 व्यक्ति प्रति एकड़, पार्क का क्षेत्रफल 8 प्रतिशत तथा पाथवेज़ की चौड़ाई 15 फुट रखने के सम्बन्ध में भी निर्णय लिया गया था कि इस मामले में अध्ययन के उपरान्त शासन को प्रस्ताव भेज दिया जाये ।	
2·7 ओल्ड पोस्ट आफिस कामर्शियल काम्पलेक्स की स्केच एवं वर्किंग ड्राइंग्स तैयार करने के लिये रु0 2·34 लाख मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को दिये जाने की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।	ओल्ड पोस्ट आफिस कामर्शियल काम्पलेक्स की स्केच एवं वर्किंग ड्राइंग्स तैयार करने के लिये रु0 2·34 लाख मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्रस्तावित फीस के भुगतान का निर्णय लिया गया था । निर्णय लिया गया कि नगर नियोजन विभाग को उपरोक्त भुगतान शीघ्र कर दिया जाये ।	वान्छित भुगतान नियोजन विभाग को कर दिया गया है ।
2·8 लखनऊ नगर का वर्तमान प्रमाणिक मानचित्र तैयार किये जाने के सम्बन्ध में सर्वेक्षण की अनुमति ।	प्राधिकरण की बैठक दिनांक 24-11-1979 में निर्णय लिया गया था कि लखनऊ नगर का प्रमाणिक मानचित्र तैयार करने हेतु सर्वेक्षण के सम्बन्ध में समस्या का अध्ययन करके प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये । निर्णय लिया गया कि दिनांक 30-4-1980 के पहले उपाध्यक्ष को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाये तथा विषय अगली बैठक में रखा जाये ।	लखनऊ नगर का प्रमाणिक मानचित्र तैयार कराने हेतु सर्वेक्षण के सम्बन्ध में समस्या का अध्ययन कर लिया गया है तथा इसे प्रस्ताव के रूप में इसी कार्यसूची में सम्मिलित किया जा रहा है ।

2:9 सिन्डर्स डम्प योजना के अन्तर्गत निर्मित दुकानों के निस्तारण के सम्बन्ध में।	निर्णय लिया गया कि सिन्डर्स डम्प योजना के अन्तर्गत निर्मित 38 दुकानों के आबंटन की कार्यवाही शीघ्र की जाए	25 दुकानों का आबंटन कर दिया गया है तथा 13 दुकानों के आबंटन की कार्यवाही की जा रही है।
2:11 भूखण्ड सं0-3 मोतीझील सा-मिल योजना के अन्तर्गत आबंटन के सम्बन्ध में।	निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में यदि शासन द्वारा कोई निर्णय लिया गया है तो इसकी स्थिति पता लगा ली जाए तथा विधिक राय एवं शासन के आदेशों को दृष्टिगत रखते हुए उपाध्यक्ष इस पर अन्तिम निर्णय ले लें।	ज्ञात किया गया है कि शासन द्वारा इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है अतएव केवल अधिवक्ता राय के आधार पर अभी तक अन्तिम निर्णय लेना उपाध्यक्ष के लिए सम्भव नहीं हो सका है।
2:12 तालकटोरा रोड स्थित भूखण्ड संख्या 4 का लखनऊ महायोजना में भू-उपयोग परिवर्तन एवं तत्सम्बन्धी विषय पर नीति निर्धारण के सम्बन्ध में।	निर्णय लिया गया कि प्रस्तावानुसार भू-उपयोग परिवर्तन करने की संस्तुति की जाती है। संस्तुति शासन को प्रेषित की जाए।	शासन को संस्तुति पत्रांक दिनांक को भेजा जा चुका है।
2:13 प्रथम चरण में निर्मित नक्खास मार्केट की दुकानों के समक्ष निर्मित पार्क हटाकर खड़जा या फर्श लगाया जाना।	निर्णय लिया गया कि इस पार्क को हटाकर फर्श का निर्माण करा दिया जाए यह व्यय प्राधिकरण वहन करेगा।	उक्त पार्क हटा दिया गया तथा फर्श लगाया जा रहा है।
2:14 नक्खास योजना में चिड़िया बाजार के समीप क्षेत्र को अर्जित करके विकसित करने के सम्बन्ध में।	उक्त भूखण्ड को भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित करके शापिंग काम्पलेक्स बनाने की अनुमति दी जाती है।	प्राधिकरण के निर्णयानुसार प्रस्ताव बना लिया गया है।
2:15 शहर के मध्य बटलरगंज स्कीम के भूखण्ड संख्या-10 की भूमि अर्जन।	निर्णय लिया गया कि यदि आवास विकास परिषद की कोई योजना उक्त स्थल पर न हो तो अर्जन की कार्यवाही की जाए।	आवास विकास परिषद से इस बारे में पूछा गया था उन्होंने इस सम्बन्ध में जो उत्तर दिया है वह विकास प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।
2:16 लखनऊ नगर में कुर्सी रोड पर कैटिल कालोनी की स्थापना करने के सम्बन्ध में।	लखनऊ नगर में कुर्सी रोड पर कैटिल कालोनी की स्थापना के सम्बन्ध में विकास प्राधिकरण द्वारा गाइड लाईन्स निर्धारित की गयी थी तथा कैटिल कालोनी की स्थापना के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे।	वर्तमान कुर्सीरोड योजना जहाँ इस समय कार्यवाही की जा रही है का निरीक्षण विगत माह सचिव, मुख्य अभियन्ता द्वारा अधिशासी अभियन्ता - 3 के साथ किया गया प्रस्तावित स्थल जहाँ कामधेनुनगर प्रस्तावित है। रोड 1-5 कि0मी0 उत्तर पश्चिम में है जो वियाबान है। इस क्षेत्र के तीन कि0 अर्ध व्यास में कोई आबादी नहीं है। यह इतनी दूर होने के कारण इस स्थल पर कोई भी ग्वाला या पशुओं का रखवाला अपने को सुरक्षित नहीं समझ सकता है। ऐसी परिस्थिति में वर्तमान कुर्सी रोड स्थित कामधेनु नगर योजना का कार्यान्वयन सम्भव नहीं है। इसलिए अ0 अ0-3 को उसी योजना

स्थल का चयन करने का निर्देश दिया गया है जहाँ विकास प्राधिकरण के विषय संख्या-3 में दिये गये निर्देशों का परिपालन किया जा सके ऐसे स्थल चयन करने हेतु आदेश दिये जा चुके हैं। प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ आख्या आगामी बैठक में ~~x~~ प्रस्तुत की जायेगी।

विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 9- 4-80 में लिये गये निर्णयों पर

अनुपालन आख्या

4:	कानपुर रोड़ योजना के अन्तर्गत ट्रान्सपोर्ट नगर योजना में भूखन्डों के विक्रय एंव ट्रान्सपोर्टस एसोसियेशन के प्रत्यावेदन के सम्बन्ध में निर्णय।	4.1 जिन व्यक्तियों ने ट्रान्सपोर्ट नगर में विक्रय के लिए उप-लब्ध भूखन्डों के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, उनके प्रार्थनापत्रों की स्क्रूटनाई न करके उन्हें भूखन्ड आवंटन की कार्यवाही की जाए।	प्रार्थना पत्रों के स्क्रूटनी हेतु प्रार्थियों से एजेन्सी के रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र तथा ट्रक ओनर्स से रजिस्ट्रेशन नम्बर मांगा गया है।
		4.2 समाचार पत्रों में ट्रान्सपोर्ट नगर के भूखन्डों के रजिस्ट्रेशन हेतु पुनः विज्ञापन दिया जाए।	ट्रान्सपोर्ट नगर में भूखन्डों के रजिस्ट्रेशन हेतु समाचार पत्रों में पुनः विज्ञापन दे दिया गया है।
		4.3 रजिस्ट्रेशन के लिए फार्म एंव विवरण पुस्तिका सीधे प्रार्थियों को ही दी जाए किसी अन्य माध्यम से नहीं।	अनुपालन किया जा रहा है।
		4.4 इस मामले में विधिक राय ली जाए कि गुड्स ट्रान्सपोर्टस वेहिकिल्स को किस प्रकार ट्रान्सपोर्ट नगर में जाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। यदि आवश्यक हो तो उपरोक्त उपलब्धियों के ~~लिए~~ लिए अधिनियमों में भी संशोधन कराया जाए।	विधिक राय ले ली गयी गयी है। इसका अध्ययन करके अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।
9.	लखनऊ विकास प्राधिकरण का मूल बजट वर्ष 1980-81	लखनऊ विकास प्राधिकरण के मूल बजट 1980-81 पर विचार विमर्श किया गया तथा निर्णय लिया गया कि संशोधित करके प्रस्तावित आकड़े आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।	निर्णयानुसार बजट में सुधार कर दिया गया है तथा पुनः अलग विषय रूप में विकास प्राधिकरण के निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

नरेन्द्र/

विषय सं०3

योजनाओं का प्रगति विवरण 31-3-1980 तक

x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x

(रु० लाखों में)

क्र०सं०	योजना का नाम	भूमि अर्जन			भूमि विकास			भवन निर्माण		
		बजट प्रावि-धान	उप-लब्धि	प्रतिशत	बजट प्रावि-धान	उप-लब्धि	बजट का प्रावि-धान	बजट का प्राविधान	उपलब्धि	बजट का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1-	कानपुर रोड योजना	120	-	-	66	19·29	29·23	33·50	15·57	46·48
2-	अलीगंज योजना	60	-	-	122	60·24	49·38	167·55	133·33	79·58
3-	अन्य योजनायें	20	6·23	2·82	30·79	6·07	19·71	-	-	-
4-	नैपियर रोड भाग-3	20	-	-	-	-	-	15·00	-	-
5-	मोतीझील योजना	-	-	-	10·50	5·90	56·19	-	5·67	-
6-	विकास की पुरानी योजनायें।	-	-	-	12·21	20·62	168·88	37·00	33·84	91·46
7-	कामर्शियल काम्पलेक्स	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-	पुराना डाकखाना	-	-	-	-	-	-	10·00	11·71	117·10
2-	नक्खास	-	-	-	-	-	-	2·00	0·39	19·50
3-	आर०टी०ओ०काम्पलेक्स	-	-	-	-	-	-	20·00	0·71	3·55
4-	छितवापुर	-	-	-	-	-	-	20·00	0·04	0·01
5-	सिन्डर्स डम्प	-	-	-	-	-	-	5·00	6·06	121·00
6-	अलीगंज योजना	-	-	-	-	-	-	15·00	-	-
7-	अन्य योजनायें	-	-	-	-	-	-	8·00	0·14	1·75
88-	मलिन बस्ती सुधार योजना	-	-	-	9·12	0·48	5·26	⌐	-	-
9 -	मलिन बस्ती निपातन यो०	-	-	-	-	-	-	16·27	6·82	41·92
	योग:	220	6·23	2·82	250·62	112·60	44·74%	349·32	214·28	61·34

एम/आरxxx

प्राधिकरण के आय की स्थिति
31-3-1980 तक

(रूपया लाखों में)

आय के मद	बजट प्राविधान	वास्तविक आय	प्रतिशत
1-सामान्य आय	30·235	18·01	59·57
2-भूमि की बिक्री	147·67	107·74	72·96
3-भवनों की बिक्री	78·42	115·74	147·59
4-दुकानों का किराया	26·66	37·60	141·04
5- प्रीमियम/अन्य आय	8·10	21·07	260·12
	291·085	300·16	103·12%
सम्भावित ऋण/ अनुदान	508·87	293·95	47·15
	799·955	540·11	67·52

एम/आर xxx

1979-80 में भवन निर्माण की भौतिक प्रगति

क्र०सं०	भवनों का प्रकार	गतवर्ष के अपूर्ण कार्य	1979-80 का लक्ष्य	योग	1979-80 उपलब्धि	शेष
1-	उच्च आय वर्ग	13	20	33	19	14
2-	मध्यम आय वर्ग					
(क)	एक मंजिला	25	100	221	180	41
(ख)	दो मंजिला	96	–	–		
3-	अल्प आय वर्ग	120	644	764	563	201
4-	ई०डब्लू०एस०					
(क)	एक मंजिला	–	1417	1417	1119	296
(ख)	दो मंजिला	–	–			
5-	साइट सर्विसिज		2334	2334	913	1421

मद संख्या: 4 पृष्ठ संख्या: 19

विषय: प्रशासकीय अधिकारों का प्रतिनिधायन
x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x

विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25-7-1975 में उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को कुछ प्रशासकीय अधिकारों का प्रतिनिधायन किया गया था। चूंकि प्राधिकरण का कार्य दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है अत: यह आवश्यक है कि प्रशासकीय अधिकारों का अन्य अधिकारियों के लिये भी प्रतिनिधायन किया जाये ताकि प्राधिकरण का कार्य द्रुति गति से प्रतिपादित किया जा सके। अस्तु निम्न रूप से प्रतिनिधायन प्रस्तावित है :-

अधिकार प्रतिनिधायन हेतु प्रस्तावित अधिकार की

मद / अधिकार	अधिकारी/ अथार्टी	सीमा (इक्सटेन्ट)	विवरण
1- नियुक्तियां नियुक्ति-प्राधिकारी (अपाइन्टिंग-अथार्टी) के रूप में।	सचिव	ऐसे पदों के लिये जिनके वेतनमान का अधिकतम 500/- से अधिक न हो।	
2- पदोन्नति	उपाध्यक्ष	ऐसे पदों पर जिनके वह नियुक्ति प्राधिकारी हैं।	
	सचिव	ऐसे पदों पर जिनके वह नियुक्ति प्राधिकारी हैं।	
3- प्रतिकूल प्रविष्टि व लघुदण्डों के विरुद्ध प्रत्यावेदन।	उपाध्यक्ष	सचिव के आदेशों के विरुद्ध	
4- वृहत दण्डों के विरुद्ध अपीलें।	उपाध्यक्ष	सचिव के आदेशों के विरुद्ध	प्रथम अपील
	आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं अध्यक्ष विकास प्राधिकरण।	उपाध्यक्ष के आदेशों के विरुद्ध	द्वितीय एवं अन्तिम अपील
5- चरित्र पंजिका हेतु वार्षिक प्रविष्टि का अन्तिमकरण	सक्षम प्राधिकारी	ऐसे पदों के लिये जिनके वेतनमान का अधिकतम 2,000/- से अधिक न हो।	सचिव रिमार्क्स प्रारम्भ करेंगे। सचिव व उपाध्यक्ष की प्रविष्टि यथावत दर्ज रहेगी।

क्रमश:---2

विषय: प्रशासकीय अधिकारों का प्रतिनिधायन
x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x

विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25-7-1975 में उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को कुछ प्रशासकीय अधिकारों का प्रतिनिधायन किया गया था। चूंकि प्राधिकरण का कार्य दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है अत: यह आवश्यक है कि प्रशासकीय अधिकारों का अन्य अधिकारियों के लिये भी प्रतिनिधायन किया जाये ताकि प्राधिकरण का कार्य द्रुति गति से प्रतिपादित किया जा सके। अस्तु निम्न रूप से प्रतिनिधायन प्रस्तावित है:-

अधिकार प्रतिनिधायन हेतु प्रस्तावित अधिकार

मद/अधिकार	अधिकारी/अथार्टी	सीमा (इक्सटेन्ट)	विवरण
1-नियुक्तियाँ नियुक्ति-प्राधिकारी (अपाइन्टिंग-अथार्टी) के रूप में	सचिव	ऐसे पदों के लिये जिनके वेतनमान का अधिकतम 500/-से अधिक न हो।	
2-पदोन्नति	उपाध्यक्ष	ऐसे पदों पर जिनके वह नियुक्ति प्राधिकारी हैं।	
2-	सचिव	ऐसे पदों पर जिनके वह नियुक्त प्राधिकारी हैं।	
3-प्रतिकूल प्रविष्ट व लघु-दण्डों के विरुद्ध प्रत्यावेदन।	उपाध्यक्ष	सचिव के आदेशों के विरुद्ध	
4-वृहत दन्डों के विरुद्ध अपीलें	उपाध्यक्ष	सचिव के आदेशों के विरुद्ध	प्रथम अपील
	आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण	उपाध्यक्ष के आदेशों के विरुद्ध	द्वितीय एवं अन्तिम अपील।
5-चरित्र पंजिका हेतु वार्षिक प्रविष्ट का अन्तिमकरण	सक्षम प्राधिकारी	ऐसे पदों के लिये जिनके वेतनमान का अधिकतम 2,000/-से अधिक न हो।	सचिव रिमार्क्स प्रारम्भ करेंगे। सचिव व उपाध्यक्ष की प्रविष्ट यथावत दर्ज रहेगी।

क्रमश:--2

विषय: प्रशासकीय अधिकारों का प्रतिनिधायन

विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25-7-1975 में उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को कुछ प्रशासकीय अधिकारों का प्रतिनिधायन किया गया था । चूंकि प्राधिकरण का कार्य दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है अत: यह आवश्यक है कि प्रशासकीय अधिकारों का अन्य अधिकारियों के लिये भी प्रतिनिधायन किया जाये ताकि प्राधिकरण का कार्य द्रुति गति से प्रतिपादित किया जा सके । अस्तु निम्न रूप से प्रतिनिधायन प्रस्तावित है:-

अधिकार प्रतिनिधायन हेतु प्रस्तावित अधिकार

मद/अधिकार	अधिकारी/अथारटी	सीमा (इक्सटेन्ट)	विवरण
1-नियुक्तियां नियुक्ति-प्राधिकारी (अपाइन्टिंग-अथारटी) के रूप में	सचिव	ऐसे पदों के लिये जिनके वेतनमान का अधिकतम 500/-से अधिक न हो ।	
2-पदोन्नति	उपाध्यक्ष	ऐसे पदों पर जिनके वह नियुक्ति प्राधिकारी हैं ।	
-	सचिव	ऐसे पदों पर जिनके वह नियुक्त प्राधिकारी हैं ।	
3-प्रतिकूल प्रविष्ट व लघु-दण्डों के विरुद्ध प्रत्यावेदन ।	उपाध्यक्ष	सचिव के आदेशों के विरुद्ध	
4-वृहत दन्डों के विरुद्ध अपीलें	उपाध्यक्ष	सचिव के आदेशों के विरुद्ध	प्रथम अपील
	आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण	उपाध्यक्ष के आदेशों के विरुद्ध	द्वितीय एवं अन्तिम अपील ।
5-चरित्र पंजिका हेतु वार्षिक प्रविष्टि का अन्तिमकरण	सक्षम प्राधिकारी	ऐसे पदों के लिये जिनके वेतनमान का अधिकतम 2,000/-से अधिक न हो ।	सचिव रिमार्क्स प्रारम्भ करेंगे । सचिव व उपाध्यक्ष की प्रविष्ट यथावत दर्ज रहेगी ।

क्रमश:--2

विषय: प्रशासकीय अधिकारों का प्रतिनिधायन
x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x

विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25-7-1975 में उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को कुछ प्रशासकीय अधिकारों का प्रतिनिधायन किया गया था । चूंकि प्राधिकरण का कार्य दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है अत: यह आवश्यक है कि प्रशासकीय अधिकारों का अन्य अधिकारियों के लिये भी प्रतिनिधायन किया जाये ताकि प्राधिकरण का कार्य द्रुति गति से प्रतिपादित किया जा सके । अस्तु निम्न रूप से प्रतिनिधायन प्रस्तावित है:-

अधिकार प्रतिनिधायन हेतु प्रस्तावित अधिकार

मद/अधिकार	अधिकारी/अथार्टी	सीमा (इक्सटेन्ट)	विवरण
1-नियुक्तियां नियुक्ति-प्राधिकारी (अपाइन्टिंग-अथार्टी) के रूप में	सचिव	ऐसे पदों के लिये जिनके वेतनमान का अधिकतम 500/-से अधिक न हो ।	
2-पदोन्नति	उपाध्यक्ष	ऐसे पदों पर जिनके वह नियुक्ति प्राधिकारी हैं ।	
3-	सचिव	ऐसे पदों पर जिनके वह नियुक्त प्राधिकारी हैं ।	
3-प्रतिकूल प्रविष्ट व लघु-दण्डों के विरुद्ध प्रत्यावेदन ।	उपाध्यक्ष	सचिव के आदेशों के विरुद्ध	
4-वृहत दन्डों के विरुद्ध अपीलें	उपाध्यक्ष	सचिव के आदेशों के विरुद्ध प्रथम अपील	
	आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण	उपाध्यक्ष के आदेशों के विरुद्ध	द्वितीय एवं अन्तिम अपील ।
5-चरित्र पंजिका हेतु वार्षिक प्रविष्ट का अन्तिमकरण	सक्षम प्राधिकारी	ऐसे पदों के लिये जिनके वेतनमान का अधिकतम 2,000/-से अधिक न हो ।	सचिव रिमार्क्स प्रारम्भ करेंगे । सचिव व उपाध्यक्ष की प्रविष्ट यथावत दर्ज रहेगी ।

उपाध्यक्ष अथवा सक्षम अधिकारी, उपाध्यक्ष के माध्यम से ।	ऐसे पदों के लिये जिनके वेतनमान का अधिकतम 1200/- से अधिक न हो ।	मुख्य अभियन्ता/वरिष्ठ नगर नियोजक/अतिरिक्त सचिव/एवं समकक्ष अधिकारी तथा मुख्य लेखाधिकारी व कास्ट-एकाउन्टेन्ट तथा नजूल अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों के लिये प्रारम्भ करेंगे । इनकी प्रविष्टि व सचिव तथा उपाध्यक्ष की प्रविष्टि चरित्र पंजिका में यथावत दर्ज रहेगी ।
सचिव	ऐसे पदों के लिये जिनके वेतनमान 500/- से अधिक न हों ।	नजूल अधिकारी/ नगर अभियन्ता (भवन)/अधिशासी-अभियन्ता/संयुक्त सचिव/उप-नगर अधिकारी/ मुख्य-लेखाधिकारी/कास्ट एकाउन्टेन्ट अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के लिये प्रारम्भ करेंगे । इनकी प्रविष्टि व विभागाध्यक्षों की प्रविष्टि चरित्र पंजिका में यथावत् दर्ज रहेगी ।

नोट: विभागाध्यक्ष से तात्पर्य मुख्य अभियन्ता, सम्पत्ति अधिकारी वरिष्ठ नगर नियोजक, अतिरिक्त सचिव एवं मुख्य लेखाधिकारी से हैं ।

प्रमाणित

(देवी बक्श सिंह)
आशुलिपिक
सचिव

एम/आर***

उपाध्यक्ष अथवा सक्षम अधिकारी उपाध्यक्ष के माध्यम से ।	ऐसे पदों के लिये जिनके वेतनमान का अधिकतम 1200/- से अधिक न हो ।	मुख्य अभियन्ता/वरिष्ठ नगर नियोजक/अतिरिक्त सचिव/ एवं समकक्ष अधिकारी तथा मुख्य लेखाधिकारी व कास्ट-एकाउन्टेन्ट तथा नजूल अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों के लिये प्रारम्भ करेंगे । इनकी प्रविष्टि व सचिव तथा उपाध्यक्ष की प्रविष्टि चरित्र पंजिका में यथावत दर्ज रहेगी ।
सचिव	ऐसे पदों के लिये जिनके वेतनमान 500/- से अधिक न हों ।	नजूल अधिकारी/ नगर अभियन्ता (भवन)/अधिशासी-अभियन्ता/संयुक्त सचिव/ उप-नगर अधिकारी/ मुख्य-लेखाधिकारी/कास्ट एकाउन्टेन्ट अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के लिये प्रारम्भ करेंगे । इनकी प्रविष्टि व विभागाध्यक्षों की प्रविष्टि चरित्र पंजिका में यथावत् दर्ज रहेगी ।

नोट: विभागाध्यक्ष से तात्पर्य मुख्य अभियन्ता, सम्पत्ति अधिकारी वरिष्ठ नगर नियोजक, अतिरिक्त सचिव एवं मुख्य लेखाधिकारी से हैं ।

प्रमाणित

(देवी बक्श सिंह)
आशुलिपिक
सचिव

एम/आर×××

उपाध्यक्ष अथवा सक्षम अधिकारी, उपाध्यक्ष के माध्यम से ।	ऐसे पदों के लिये जिनके वेतनमान का अधिकतम 1200/- से अधिक न हो ।	मुख्य अभियन्ता/वरिष्ठ नगर नियोजक/अतिरिक्त सचिव/ एवं समकक्ष अधिकारी तथा मुख्य लेखाधिकारी व कास्ट-एकाउन्टेन्ट तथा नजूल अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों के लिये प्रारम्भ करेंगें । इनकी प्रविष्टि व सचिव तथा उपाध्यक्ष की प्रविष्टि चरित्र पंजिका में यथावत दर्ज रहेगी ।
सचिव	ऐसे पदों के लिये जिनके वेतनमान 500/- से अधिक न हों ।	नजूल अधिकारी/ नगर अभियन्ता (भवन)/अधिशासी-अभियन्ता/संयुक्त सचिव/ उप-नगर अधिकारी/ मुख्य-लेखाधिकारी/कास्ट एकाउन्टेन्ट अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के लिये प्रारम्भ करेंगें । इनकी प्रविष्टि व विभागाध्यक्षों की प्रविष्टि चरित्र पंजिका में यथावत् दर्ज रहेगी ।

नोट: विभागाध्यक्ष से तात्पर्य मुख्य अभियन्ता, सम्पत्ति अधिकारी वरिष्ठ नगर नियोजक, अतिरिक्त सचिव एवं मुख्य लेखाधिकारी से हैं ।

प्र_मा_णि_त

(देवी बक्श सिंह)
आशुलिपिक
सचिव

एम/आर×××

उपाध्यक्ष अथवा सक्षम अधिकारी उपाध्यक्ष के माध्यम से ।	ऐसे पदों के लिये जिनके वेतनमान का अधिकतम 1200/- से अधिक न हो ।	मुख्य अभियन्ता/वरिष्ठ नगर नियोजक/अतिरिक्त सचिव, अपने अधीनस्थ अधिकारियों के लिये प्रारम्भ करेगें । इनकी प्रविष्टि व सचिव तथा उपाध्यक्ष की प्रविष्टि चरित्र पंजिका में यथावत दर्ज रहेगी ।
सचिव	ऐसे पदों के लिये जिनके वेतनमान 500/- से अधिक न हों ।	नजूल अधिकारी / नगर अभियन्ता (भवन)/ अधिशासी अभियन्ता/ संयुक्त सचिव/उप नगर अधिकारी/मुख्य लेखाधिकारी/कॉस्ट एकाउन्टेन्ट अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के लिये प्रारम्भ करेगें । इनकी प्रविष्टि व विभागाध्यक्षों की प्रविष्टि चरित्र पंजिका में यथावत् दर्ज रहेगी ।

नोट: विभागाध्यक्ष से तात्पर्य मुख्य अभियन्ता, सम्पत्ति अधिकारी, वरिष्ठ नगर नियोजक, अतिरिक्त सचिव एवं मुख्य लेखाधिकारी से है ।
एवं समकक्ष अधिकारी तथा मुख्य लेखाधिकारी व कास्ट एकाउन्टेन्ट तथा नजूल अधिकारी

M/R***

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25 जुलाई 1975 के विषय संख्या-4 पर लिये गये निर्णय का उद्धरण ।

x=x=x=x=x=x=x=x=x

प्राधिकरण के आवश्यक पदों के सृजन, वर्तमान पदों के समायोजन एवं कतिपय पदनामों के प्रस्तावित वेतनक्रम सहित तत्सम्बन्धी व्यय पर विचार किया गया । उपाध्यक्ष के द्वारा प्रस्तावित ऐडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ़ कालेज द्वारा आर्गनाइज़ेशन स्ट्रक्चर, डिसीज़न मेकिंग सिस्टम और परफोर्मेन्स बजट पर एक विस्तृत अध्ययन कराने के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई और [illegible] की फीस जो रू0 30,000/- से अधिक न हो तक देने के लिये उन्हे अधिकृत किया गया । यह भी निर्णय लिया गया कि जब तक उक्त अध्ययन (Study) की आख्या प्राप्त नहीं हो जाती तब तक प्राधिकरण के पदों को अन्तिम स्वरूप देना उचित न होगा । इसके अलावा यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान 376 पदों में से 82 पद, जिनमें 9 प्रथम श्रेणी, 24 द्वितीय श्रेणी तथा 49 चतुर्थ श्रेणी के हैं, प्राधिकरण से त्याग करके उनका संविलियन महापालिका में कर लिया जाय तथा इन 82 पदों को फिलहाल न भरा जाये । प्राधिकरण की तत्कालिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए यह प्रस्ताव प्राधिकरण के सामने रखा गया कि मुख्य-अभियन्ता, कास्ट एकाउन्टेन्ट, प्लानर, आर्किटेक्ट, विधि अधिकारी तथा जनसम्पर्क अधिकारी के नए पद स्वीकृत कर दिये जायें । काफ़ी विचार विमर्श के बाद यह निर्णय हुआ कि तात्कालिक न्युनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये निम्नलिखित पद, उनके सामने लिखित वेतनक्रम में, सृजित कर दिये जायें ।

क्रम स0	पद नाम	पद-संख्या	वेतनक्रम
1-	मुख्य अभियन्ता	एक	1350-1700
2-	आर्किटेक्ट-कम-प्लानर	एक	1350-1700
3-	कास्ट एकाउन्टेन्ट	एक	800-1450
4-	सहायक अभियन्ता	चार	500-1150
5-	वैयक्तिक सहायक	एक	425- 900
6-	स्टेनोज़	दो	240-424
7-	ड्राइवर	पाँच	172-226

प्राधिकरण ने पदों की स्वीकृति एवं सृजित किये जाने तथा उन पर नियुक्ति किये जाने की व्यवस्था पर भी विचार विमर्श किया । यह निर्णय लिया गया कि ऐसे पदों, जिनके वेतनमान का अधिकतम 2,000/- तक हो, को स्वीकृत एवं सृजित करने का अधिकार सामान्यतया प्राधिकरण के पास रहे क्योंकि शासन के स्पष्ट आदेश हैं कि रू0 2,000/- से ऊपर के अधिकतम वेतन के पदों की स्वीकृति एवं सृजन करने का अधिकार शासन ने अपने पास सुरक्षित रखा है । विशेष परिस्थितियों में अध्यक्ष की पूर्वानुमति से उपाध्यक्ष ऐसे पदों का सृजन कर सकते हैं जिनकी नियुक्ति का अधिकार उन्हे हो परन्तु ऐसी नियुक्तियों को वे प्राधिकरण की स्वीकृति हेतु अगली बैठक में प्रस्तुत करेंगे ।

क्रमशः---2

जहाँ तक विभिन्न पदों पर नियुक्तियाँ करने का सम्बन्ध है, उपाध्यक्ष, सचिव तथा मुख्य लेखाधिकारी के पदों पर नियुक्ति का अधिकार अधिनियम द्वारा शासन को है । अन्य पदों पर नियुक्ति के अधिकार के प्रतिनिधायन के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि मुख्य अभियन्ता, आर्किटेक्ट-कम-प्लानर, कास्ट एकाउन्टेन्ट और रु0 1,200/- तथा रु0 2,000/- के बीच के अधिकतम वेतनमानों के पदों पर नियुक्तियाँ प्राधिकरण द्वारा की जायेगी । ऐसी नियुक्तियों के लिये प्राधिकरण ने एक चयन समिति का गठन किया जिसमें उपाध्यक्ष और प्राधिकरण के दो अन्य सदस्य होंगे । रु0 1,200/- के अधिकतम वेतन के नीचे के समस्त पदों पर नियुक्तियाँ करने का अधिकार उपाध्यक्ष को प्रतिनिहित किया गया ।

x=x=x=x=x=x=x

विषय : अलीगंज आवासीय योजना के द्वितीय चरण में सेक्टर "एन" की जनसंख्या के घनत्व तथा मार्गों की चौड़ाई उ०प्र० बिल्डिंग आपरेशन ऐक्ट 1958 में निर्धारित चौड़ाई से कम रखने के सम्बन्ध में प्रस्तावित आख्या ।

पिछली बैठक दिनांक 24-11-79 में उठाये गये बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुये अलीगंज आवासीय योजना के द्वितीय चरण में आई०एस०आई०, नई दिल्ली से प्राप्त माप-दण्ड के आधार पर आवासीय कालोनी के मानचित्र बनाये गये हैं। कालोनी के आन्तरिक मार्गों को 9 मीटर, 6 मीटर तथा 4 मीटर रखा गया है जो उक्त मापदण्ड के आधार पर ही रखे गये हैं तथा सर्विसेज़ आदि के लिये प्रत्येक 160 मीटर की दूरी पर 9 मीटर के मार्ग दिये जाने के प्रयास किये गये हैं। साथ ही 3 हेक्टेयर प्रति एक हजार जनसंख्या पर पार्क तथा खुले स्थान छोड़े गये हैं जो कि कालोनी के अन्दर रहने वाले छोटे बच्चों के लिये छोटे क्रीड़ास्थल, नर्सरी स्कूल तथा प्राइमरी स्कूल आदि के लिये उपयुक्त होंगे। यह भी उक्त मापदण्ड के आधार पर रखे गये हैं। लेकिन आर०बी०ओ० ऐक्ट 1958 के अन्तर्गत आवासीय कालोनी में मार्गों की कम से कम चौड़ाई 30 फुट अर्थात् 9 मीटर निर्धारित की गयी है, जबकि 9 मीटर मार्ग सिर्फ 160 मीटर की दूरी पर ही दिये गये हैं ताकि ट्रंक सर्विसेज ठीक से बिछायी जा सके।

इस आधार पर प्रस्तावित कालोनी में लगभग 4500 जनसंख्या के लिये उचित क्रीड़ास्थल, दुकाने आदि का प्राविधान किया गया है तथा नियोजन इस प्रकार किया गया है कि यह एक सेल्फ कण्टेण्ड यूनिट की तरह कार्य करें।

इन सभी सुविधाओं को समुचित प्राविधान करने के लिये तथा अधिकतम प्लाटेड एरिया उपलब्ध करने के कारण इस योजना में आई०एस०आई० के प्रस्तावित जनसंख्या के घनत्व 425 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर या 85 आवासीय यूनिट प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 591 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर या 118 आवासीय यूनिट प्रस्तावित है, लेकिन महायोजना के अन्तर्गत अलीगंज आवासीय योजना में 100 व्यक्ति प्रति एकड़ प्रस्तावित है, इसलिये इस आवासीय योजना के सेक्टर "एन" में निम्नलिखित विषयों पर अथारटीज से छूट लेनी आवश्यक है। अत: इसकी अनुशंसा की जाती है :-

1- सेक्टर "एन" में मार्गों की चौड़ाई 6 मीटर तथा 4 मीटर रखने के सम्बन्ध में।

2- जनसंख्या में घनत्व जो कि महायोजना में 100 व्यक्ति प्रति व्यक्ति प्रति एकड़ करने के सम्बन्ध में।

- : 0 : -

विषय: लक्ष्मन टीले के पीछे लखनऊ विकास प्राधिकरण के अतिथिगृह के निर्माण के सम्बन्ध में ।

x=x=x=x=x=x=x

लखनऊ नगर न केवल उत्तर प्रदेश की राजधानी है वरन उत्तर-भारत का सांस्कृतिक, व्यापारिक एवं राजनैतिक केन्द्र भी है । इस नगर को हर प्रकार से विकास करने के लिये शासन की ओर से प्रयास किया जा रहा है और उन सभी विकास करने वाली संस्थाओं में विकास-प्राधिकरण एक महत्वपूर्ण संस्था है ।

विकास प्राधिकरण को नगर के सर्वांगीण विकास के लिये अनेक योजनाएँ बनानी होती हैं और उन्हे विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से कार्यान्वयन करना होता है । इनमें प्रमुख सहयोगं केन्द्रीय शासन और हडको, केन्द्रीय ग्रामीण एवं नियोजन विभाग, विश्व बैंक तथा केन्द्रीय शासन का निर्माण विभाग है । जिनके अधिकारी समय-समय पर लखनऊ नगर एवं विकास प्राधिकरण व्दारा संचालित की जाने वाली योजनाओं के निरीक्षण के लिये अक्सर आया करते हैं । इनके अतिरिक्त उत्तर-प्रदेश एवं अन्य प्रदेशों के विकास से सम्बन्धित अधिकारी भी लखनऊ नगर में आते रहते हैं और यहाँ की योजनाओं से अपना सम्पर्क बनाये रखने का प्रयास करते हैं ।

लखनऊ नगर बाहर से आने वाले पर्यटकों का भी एक केन्द्र स्थल है जहाँ पर कला, व्यवसाय, शिक्षा एवं अन्य विषयों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण व्यक्ति लखनऊ आया करते हैं ।

इस प्रकार प्राधिकरण एवं अन्य कार्यो से सम्बन्धित आने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिये नगर में कोई यथोचित ठहरने का स्थल नहीं है जहाँ पर प्राधिकरण की ओर से उन्हे विधिवत आवास एवं आदर की अन्य व्यवस्था की जा सके । माननीय अतिथियों को किसी होटल पर आवास की व्यवस्था कराना एवं उनके सत्कार की व्यवस्था करना बहुत आदर की दृष्टि से नहीं देखा जाता है ।

अतएव उपरोक्त सभी विषयों पर विचार-विमर्श करने के पश्चात यह आवश्यक हो गया है कि विकास प्राधिकरण के माननीय अतिथियों के लिये सभी साधनों से युक्त एक अतिथि-गृह का निर्माण किया जाय । सौभाग्य से विकास प्राधिकरण के पास लक्ष्मन टीले के पीछे एक विस्तृत भू-भाग अतिथिशाला निर्माण के लिये उपलब्ध है ।

आज से लगभग 100 वर्ष पहले से उक्त स्थल पर एक पम्पिंग-स्टेशन का निर्माण किया गया था जो वर्तमान जल वितरण प्रणाली के प्रभाव में आ जाने से बेकार हो गया है, उपरोक्त पम्पिंग स्टेशन कोयले व्दारा चलाया जाता था अब बन्द पड़ा हुआ है । वर्तमान बदली हुई परिस्थितियों में न तो पम्पिंग स्टेशन उपयोगी ही है न ही आवश्यक है ।

उपरोक्त स्थल पर 8 कक्षों वाला समस्त सुविधाओं से युक्त एक अतिथि-गृह के निर्माण की अनुशंसा की जाती है । इस अतिथि-गृह के साथ-साथ एक बैठक कक्ष, लाज और भोजन-कक्ष आदि भी होगा । चूंकि यह स्थल गोमती नदी के दाहिने किनारे से बिल्कुल सटा हुआ स्थित है

क्रमशः---

इसके सामने गोमती नदी एवं हरे-हरे मैदान दिखलाई पड़ते हैं और इसकी पृष्ठ भूमि में तथा पश्चिम की ओर नगर के प्रसिध्द एवं प्राचीन स्थल जैसे - दोनो इमामबाड़े, रूमी दरवाज़ा, घंटाघर आदि इसकी शोभा बढ़ाते हैं इसलिये अतिथि-शाला के लिये यह स्थल और भी महत्वपूर्ण हो गया है ।

विकास प्राधिकरण के सम्मुख उपरोक्त विषय अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

=:=:=:=:=:=:=:=:=:=

एम/आर xxx

मद संख्या: 7

पृष्ठ संख्या: 26

विषय: विकास प्राधिकरण लखनऊ में दोहरी लेखा प्रणाली लागू करने के सम्बन्ध में।

आख्या: लखनऊ विकास प्राधिकरण की स्थापना के उपरान्त, लखनऊ विकास प्राधिकरण में नगर महापालिका लेखा नियम लागू किये गये। लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17-3-79 (विषय सं० -11) में यह निर्णय लिया गया कि लखनऊ विकास प्राधिकरण में सार्वजनिक निर्माण विभाग की भाँति ही लेखा प्रणाली अपनाई जायें। तदनुसार दिनांक 10-12-79 से उक्त लेखा प्रणाली विकास प्राधिकरण में लागू कर दी गयी जिसके अनुसार भुगतान करने का अधिकार अधिशासी अभियन्ता को दे दिया गया था। उक्त प्रणाली को लागू करने से पूर्व खण्डीय लेखाकारों को महालेखाकार उत्तर प्रदेश से प्रतिनियुक्ति पर लिया था।

चूंकि महापालिका लेखा नियमावली तथा पी०डब्लू०डी० लेखा प्रणाली दोनों ही के अन्तर्गत केवल कैश एकाउन्टिंग ही हो पाती है, अतः वर्तमान लेखे प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति का सही चित्रण प्रस्तुत नहीं करते हैं। हडको से वर्ष 1979-80 में जब ऋण लेने हेतु प्रस्ताव भेजा गया तो उन्होंने दोहरी लेखा प्रणाली पर लेखों को रखने पर जोर दिया। उनका कहना है कि पूर्व में विकास प्राधिकरण लखनऊ को जब ऋण उनके द्वारा अवमुक्त किया गया तो उसके लेखों की जाँच करने में अत्यधिक कठिनाई होती है। इसके अतिरिक्त अन्य संस्थाओं से भी ऋण प्राप्त करने में कठिनाई का अनुभव होता है। (अतः यह उचित होता है कि चूंकि विकास प्राधिकरण एक सामाजिक संस्था होते हुए भी एक व्यवसायिक संस्था है) अतः इस संस्था की सही वित्तीय स्थिति प्रदर्शित करने के लिए यह आवश्यक है कि विकास प्राधिकरण के लेखे दोहरी लेखा प्रणाली पर रखे जायें। दोहरी लेखा प्रणाली के निम्नलिखित लाभ हैं :-

1. It brings into record both the aspects of every transaction - the personal as well as the impersonal.
2. It provides most reliable information, from day to day, as to the amounts owing to and by the trader.
3. It facilitates reference to the details of any account, if information is needed regarding any set or series of transactions.
4. It enables the arithmetical accuracy of the books to be tested by means of a trial balance.

5. It affords an easy comparison of the purchases, sales and the opening and closing stocks of any one period with similar items of the previous period, and thus helps the trader to find out retrograding.

6. By the raising of moninal accounts for the several heads of expenditure and the various sources of income, a profit & loss account can be prepared at the trader may see for himself whether his vusiness during any given period has resulted in a net gain or loss and how such gain or loss has arisen.

7. A comparison of the amounts expended under various heads with similar items of the preceding period helps to trace the causes of fluctuations in net trading results, as also serves to indicate in what direction there has been extravagance, if any,

8. It helps towards the ready ascertainment of the trader's financial position by the preparation of a balance sheet wherein are grouped in a classified form all the assets, liabitities and the capital of the trades, at periodical intervals.

9. - It prevents fraud by rendering any alteration in accounts more difficult, and facilitates discovery of irregularities, if any exists.

विकास प्राधिकरण की विशेष बैठक दिनांक 2-2-80 में भी मौखिक रुप से विकास प्राधिकरण के लेखों को दोहरी लेखा प्रणाली पर रखने के लिए विचार, विमर्श हुआ था। दोहरी लेखा प्रणाली पर लेखे दो प्रकार से रखे जा सकते हैं, - एक केन्द्रीयत रुप से तथा दूसरे अभियन्त्रण खण्डों में।

(1) केन्द्रीयत रुप से लेखे रखना:

केन्द्रीयत रुप से लेखे रखने में समस्त भुगतान केन्द्रीय कार्यालय द्वारा किये जायेगें एंव समस्त वांछित अभिलेख केन्द्रीय कार्यालय में रखेजायेगें। इसके लिए निम्नलिखित नये स्टाफ की आवश्यकता होगी।

क्रम सं0	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनक्रम	व्यय (प्रति माह प्रति कर्मचारी) मूलवेतन	(भत्ते आदि	योग	प्रति वर्ष (योग)
1.	कास्ट असिसटेन्ट	5	350-700	350/-	285/-	635/-	38,100/-
2.	लेखा लिपिक	5	195-315	195/-	234/-	429/-	25,740/-
					योग		63,840/-

परिपृष्ठ के 5 कास्ट असिसटेन्ट में से 3 लेखा विभाग में, 2 सम्पत्ति विभाग, रेन्ट तथा स्टोर विभाग में कार्य करेगें। लेखा लिपिकों में 2 लेखा लिपिक लेखा विभाग में तथा एक एक क्रमशः सम्पत्ति विभाग, रेन्ट तथा स्टोर विभाग में कार्य करेगें। यद्यपि इस कार्य हेतु काफी स्टाफ की आवश्यकता होगी, परन्तु शेष स्टाफ प्राधिकरण के अन्य विभागों में डिप्लाये (Deploy) करके लगाया जायेगा तथा उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण इस प्रणाली का दिया जायेगा। परन्तु लेखे ठीक प्रकार से रखे जायें; इसके लिए उपरोक्त नये स्टाफ की आवश्यकता होगी जो वास्तविक न्यूनतम पर आधारित हैं।

(2) अभियन्त्रण खण्डों में लेखे रखना:

अभियन्त्रण खण्डों में लेखे रखने में निम्नलिखित स्टाफ की आवश्यकता होगी।

क्रम सं0	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनक्रम	व्यय (प्रति माह प्रति कर्मचारी) मूलवेतन	भत्ते आदि	योग	प्रति वर्ष (योग)
1.	कास्ट असिसटेन्ट	9	350-700	350/-	285/-	635/-	68,580/-
2.	लेखा लिपिक	10	195-315	195/-	235/-	429/-	51,480/-
						योग	120,060

उपरोक्त 9 कास्ट असिसटेन्ट में से 6 अभियन्त्रण खण्डों में (प्रत्येक अभि0 खण्ड में एक), एक लेखा विभाग में तथा 2 सम्पत्ति, रेन्ट एंव स्टोर विभाग में रखे जायेगें। लेखा लिपिकों 10 में से 6 अभियन्त्रण खण्डों में (प्रत्येक अभियन्त्रण खण्ड में एक), 3 सम्पत्ति, रेन्ट तथा स्टोर विभाग में (प्रत्येक विभाग में एक) तथा एक लेखा विभाग में रखा जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त प्रत्येक विभाग/ अभियन्त्रण खण्ड में वर्तमान स्टाफ रखा जायेगा। प्रत्येक अभियन्त्रण खण्ड में एक कास्ट असिसटेन्ट (कामर्स ग्रेजुएट तथा उक्त प्रणाली का अनुभव प्राप्त) इसलिए रखा जाना आवश्यक है जिससे कि वह नई प्रणाली की कैश बुक एंव बैंक समाधान आदि का नया कार्य सुचारु रुप से कर सके तथा लेजर्स आदि प्राधिकरण के ही लिपिकों द्वारा कास्ट असिसटेन्ट के निर्देशानुसार रखे जायेगें। प्रत्येक अभियन्त्रण खण्ड में एक कास्ट असिसटेन्ट रखना इसलिए आवश्यक है जिससे कि वह दोहरी लेखा प्रणाली पर आधारित समस्त लेखों को उचित प्रकार से रखवा सकें।

अतः कृपया प्राधिकरण निम्न बिन्दुओं पर निर्णय लेने का कष्ट करें:

1- क्या प्राधिकरण में दोहरी लेखा प्रणाली लागू की जाय? यदि हाँ तो किस तिथि से?

2- उपरोक्त प्रणाली को यदि लागू किया जाता है तो कौन सी प्रक्रिया अपनाई जायें अर्थात केन्द्रीय रुप से लेखे रखना अथवा अभियन्त्रण खण्डों में लेखे रखना(केन्द्रीय रुप से लेखे रखने में वार्षिक अनुमानित व्यय रु0 63,840/- तथा अभियन्त्रण खण्डों में लेखे रखने में वार्षिक अनु

29

अनुमानित व्यय रु० 1,20,060/- होगा। इनमें से जो भी मान्य हो, तदनुसार पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

3- यहाँ के वर्तमान लिपिकीय स्टाफ में से, चयन करके कुछ अच्छे लिपिक उक्त कार्य हेतु छाँट लिये जायें जिन्हें उक्त नया कार्य करने के लिए प्रोत्साहन के रुप में कुछ विशेष वेतन दिया जाये।

4- उपरोक्त प्रणाली पर लेखे रखने के लिए एक लेखा मैनुवल बनानी होगी। इस मैनुवल को बनाने का कार्य किसी कन्सल्टैन्ट को दिया जाए अथवा प्राधिकरण में कार्यरत कास्ट एकाउन्टेन्ट द्वारा उक्त लेखा मैनुयल बनायी जायें। यदि कास्ट एकाउन्टेन्ट को उक्त लेखा मैनुयल बनाने का कार्य सौंपा जाता है तो इसे किसी दूसरी एजेन्सी से वेट कराया जायें तथा इस दुह कार्य के लिए कास्ट एकाउन्टेन्ट को कुछ विशेष वेतन प्रति माह स्वीकृति किया जायें।

उपरोक्त के अतिरिक्त विकास प्राधिकरण की बैलेन्स शीट भी अभी तक नहीं बनी हैं। अतः उपयुक्त होगा कि कम से कम प्रारम्भिक 2 वर्ष की बैलेन्स शीट किसी कन्सल्टैन्ट से बना ली जाये। उसके बाद की बैलेन्स शीट विभाग द्वारा बनायी जा सकेगी।

आर.पी.एन/-

विषाय संख्या: 8 पृष्ठ संख्या: 30

विषाय: लखनऊ नगर में रैन बसेरा स्थापित करने के सम्बन्धा में विचार ।

इस समय लखनऊ में ऐसे व्यक्तियों के लिये जो होटल्स आदि में निवास करने के लिये धान खर्च करने में असमर्थ हैं, विश्राम करने के लिये कोई उचित व्यवस्था नहीं है ।

अस्तु प्रस्तावित है कि लखनऊ नगर में ऐसे व्यक्तियों के लिये रैन बसेरा के लिये भावन का निर्माण कराया जाये जिसमें 100 व्यक्तियों के विश्राम की व्यवस्था हो । यह भी प्रस्तावित है कि उक्त रैन बसेरे के भावन के निर्माण के लिये आवश्यक धान हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग से प्राप्त किया जाये ।

x=x=x=x=x=x

विषय संख्या: 9 पृष्ठ संख्या: 31

विषय: विष्णुपुरी कालोनी में सीवर लाइन से छूट देने के सम्बन्ध में आख्या

x=x=x=x=x

कुर्सी रोड स्थित विष्णुपुरी कालोनी में कालोनाइज़र द्वारा सड़क नाली, पार्क आदि का कार्य सन् 1970 में सम्पन्न कर दिया था परन्तु सीवर की व्यवस्था न होने के कारण ले-आउट प्लान अभी तक रिलीज़ नहीं किया जा सका । इस क्षेत्र में अभी तक मुख्य सीवर लाइन नहीं डाली गई है जिससे इस कालोनी में इस समय सीवर लाइन डालने का कोई औचित्य नहीं है ।

मेसर्स कृष्णा कालोनाइज़र की एक अन्य इन्द्रलोक कालोनी में सीवर लाइन डालने की छूट शासन ने सन् 1977 में दी है उसमें यह आदेश दिया है कि प्रत्येक प्लाट होल्डर्स से एक ऐग्रीमेन्ट कर लिया जाये कि जब भी सीवर लाइन पड़ेगी उन्हे आवश्यक धनराशि देनी होगी और यदि प्लाट होल्डर्स धनराशि नहीं देता है तो उक्त धनराशि कालोनाइज़र को देना होगी । अत: विष्णुपुरी कालोनी में भी इसी आधार पर सीवर लाइन डालने की छूट देने की अनुशंसा की जाती है ।

x=x=x=x=x=x=x

एम/आर xxx

विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में सोसोयटियों एवं कालोनाइजर द्वारा प्लान पर तकनीकी रूप से स्वीकृत प्राप्त करने के पश्चात विकास कार्य हेतु एग्रीमेंट न करने तथा विकास व्यय न जमा करने के कारण उत्पन्न स्थिति पर विचार । त्रिवेणी नगर सहकारी गृह निर्माण समिति के सीतापुर रोड स्थिति भाग दो, तीन व चार के ले आउट प्लान विशेष से प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत है ।

प्राय: सोयायटियों एवं कालोनाइजर विकास प्राधिकरण द्वारा ले आउट प्लान पर तकनीकी रूप से स्वीकृत प्राप्त करने के पश्चात विकास कार्य हेतु एग्रीमेन्ट नही करते विकास द्वारा व्यय नहीं जमा करते और हैं तब उन्हें विवश होकर इस आधार पर वापस करना पड़ता है कि ले आउट प्लान स्वीकृत नहीं है ।

आर0बी0 ओ0 एक्ट के रेगुलेशन 5।।।। ए में प्राविधान है कि यदि कालोनाइजर विकास कार्य हेतु एग्रीमेन्ट न करें तथा विकास व्यय न जमा करें तथा प्रत्येक प्लाट होल्डर से अनुपातिक विकास व्यय लेकर भवन चित्र स्वीकृत किया जा सकता है । परन्तु इसमें कुछ समस्यायें उत्पन्न हो सकती हैं जो निम्न प्रकार है:-

1- विकास व्यय प्रारम्भ में जब निकाला जायेगा तब अनुपातिक विकास व्यय प्रति वर्ग फुट के हिसाब से प्लाट के क्षेत्रफल पर देना पड़ेगा । परन्तु भवन चित्र भिन्न भिन्न समय पर आयेगें । और इस समय जिस प्रकार बाजार दर बढ़ रहे हैं हैं, कुछ समय बाद सही विकास मूल्य प्राप्त करना सम्भव न होगा ।

2- अनुपातिक विकास व्यय भिन्न भिन्न समय पर जमा होगा । अत: कितनी धन राशि राशि जमा होने के पश्चात विकास कार्य कराया जाय । इस पर निर्देश अपेक्षित है ।

3- जब तक विकास कार्य पूरा नहीं होता उसे रख रखाव हेतु महापालिका को कैसे दिया जाय और इस बीच रख रखाव कौन करेगा ।

इस संबंध में यह सुझाव है कि यदि विकास प्राधिकरण अपने कोष से विकास कार्य करवा दे तो क्षेत्र जल्दी विकसित हो जायेगा और रख रखाव हेतु महापालिका को दिया जा सकेगा एवं जो अनुपातिक विकास व्यय जमा होगा वह उसी व्यय मद में लौटा दिया जायेगा ।

प्राधिकरण के विचारार्थ एवं निदेशार्थ प्रस्तुत ।

विषय सं० 11

विषय: किराया क्रय पद्धति के आधार पर अधिकारियों को भवन आवंटित करने के सम्बन्ध में ।

आख्या: लखनऊ विकास प्राधिकरण की स्थापना से पूर्व महापालिका द्वारा जनता के विभिन्न वर्गों हेतु, राज्य सरकार से ऋण लेकर, शहर के विभिन्न स्थानों पर कुछ भवन निर्मित किये गये थे जिनको किराये पर जनता को आवंटित कर दिया गया । इन भवनों के विक्रय का विषय , उ०प्र० शासन के विचाराधीन है ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की स्थापना के उपरान्त 3 कमरे वाले 3 भवन पेपर मिल कालोनी में तथा 3 भवन अलीगंज योजना में प्राधिकरण ने बनवाये । इस प्रकार यह 6 भवन प्राधिकरण के अधिकारियों को वेतन के 10% किराये पर आवंटित कर दिये गये । उपरोक्त आवंटित भवनों में से अलीगंज योजना में एक भवन के लिये श्री डी० एन० शाह उप नगर अधि० (जो पहले प्राधिकरण में कार्यरत थे और अब महापालिका में कार्यरत हैं) तथा पेपर मिल कालोनी में एक भवन के लिये श्री ओम प्रकाश सहायक अभियन्ता ने तथा एक भवन के लिये श्री के० बी० सक्सेना कास्ट एकाउन्टैन्ट ने किराया क्रय पद्धति के आधार पर आवंटित करने की प्रार्थना की है । इन अधिकारियों का कहना है कि विकास प्राधिकरण ने अपनी स्थापना के उपरान्त कुछ अधिकारियों/कर्मचारियों को अलीगंज योजना में : किराया क्रय पद्धति के आधार पर दुर्बल आय वर्ग एवं निम्न आय वर्ग के भवन आवंटित कर दिये हैं जिनमें सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी रह रहे हैं । अतः इन अधिकारियों की प्रार्थना पर भी विचार करना उचित प्रतीत होता है

किराये की प्रक्रिया में सम्बन्धित कर्मचारी या अधिकारी से वेतन का 10% लिया जाता है और प्राधिकरण को इस प्रकार के भवनों का रख रखाव करना होता है। अनुभव से ऐसा प्रतीत हुआ कि भवन के रख रखाव पर प्राधिकरण को काफी व्यय करना होता है । इसका एक मात्र कारण यह हो सकता है कि सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी द्वारा भव का रख रखाव ठीक प्रकार से नहीं किया जाता है । प्राधिकरण को इस प्रकार के भवनों पर एक ओर तो मरम्मत पर व्यय करना पड़ता है तथा दूसरी ओर टैक्स भी देना होता है ।

किराया क्रय पद्धति के आधार पर भवन का विक्रय करने पर प्राधिकरण को न तो भवनों की मरम्मत ही करानी होगी और न टैक्स ही अदा करना होगा । साथ ही किराये से मिलने वाली धनराशि की अपेक्षा हायर परचेज पर दिये गये भवनों की किश्त की धनराशि काफी अधिक होगी जिससे प्राधिकरण को रिकरिंग वित्तीय लाभ अधिक होगा । किराया क्रय पद्धति की प्रक्रिया में पूँजीगत लागत की वसूली एक निर्धारित अवधि में निश्चित ब्याज की दर पर की जाती है तथा भूमि लीज पर होने के कारण लीज रेन्ट भी प्राप्त होता रहता है ।

......2

34

वित्तीय पहलू को देखते हुए यह उचित प्रतीत होता है कि उपरोक्त अधिकारियों को भवन किराया क्रय पद्धति पर आवंटित कर दिये जायें । उन से रु05,000/- अग्रिम-धन ले लिया जायें तथा शेष धन की वसूली 12 वर्षों में मासिक किश्तों में की जायें ।

उपरोक्त के सम्बन्ध में प्राधिकरण कृपया निम्न बिन्दुओं पर निर्णय लेने का कष्ट करें ।

1) क्या उपरोक्त भवन प्राधिकरण के अधिकारियों को किराया क्रय पद्धति पर आवंटित कर दिये जायें ?

2) यदि किराया क्रय पद्धति पर उक्त भवन आवंटित किये जाते हैं तो भवन की लागत का आधार क्या रखा जायें ?

विषाय संख्या: 12 पृष्ठ संख्या: 35

लखनऊ विकास प्राधिकरण

का मूल - बजट वर्षा

1 9 8 0 - 8 1

x=x=x=x=x

लखनऊ विकास प्राधिकरण

का मूल बजट वर्षा- 1980-81

अलग से प्रस्तुत किया जा

रहा है ।

x=x=x=x=x

एम/आर xxx

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 14-5-1980, जो आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के कार्यालय में हुई का कार्यवृत्त

##===::000::===##

उपस्थिति:

1-	श्री गंगा राम	आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण ।
2-	श्री बी०जे०खोदायजी	आयुक्त एवं सचिव, उ०प्र०शासन, आवास एवं पुर्नवास, विधान-भवन, लखनऊ ।
3-	श्री योगेन्द्र नारायण	ज़िलाधिकारी, लखनऊ ।
4-	श्री राधे कृष्ण गुप्ता	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं प्रशासक, नगर महापालिका, लखनऊ ।
5-	श्री जे०पी०दुबे	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
6-	श्री उमा कान्त	प्राविधिक सलाहकार, आवास-सचिव शाखा, उत्तर प्रदेश शासन ।
7-	श्री ओ०पी०विश्नोई	मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ ।

=====::00::======

अन्य उपस्थिति:-

1- श्री ध्यान सिंह वर्मा — सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण

=====::00::=====

विषय: लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 9-4-1980 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।

पारित प्रस्ताव:

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 9-4-1980 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई ।

विषय: लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 9-4-1980 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या ।

2.1 निर्णय लिया गया कि 15 दिन के अन्दर डा०टन्डन को उनकी अर्जित भूमि में से 25% भूमि पिछले निर्धारित नियमों, दरों व शर्तों पर आवन्टित कर दी जाये ।

निर्णय लिया गया कि आवन्टन में शीघ्रता की जाये ।

क्रमशः:------2

2.2 प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं की भूमि छोड़े जाने एवं विस्थापितों हेतु गाइड-लाइन्स तैयार करने हेतु एक उप-समिति गठित की गई एवं आगामी बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया ।

निर्णय लिया गया कि विषय प्राधिकरण की आगामी बैठक में रखा जाये ।

2.3 तालकटोरा रोड स्थित भूखण्ड संख्या-4 की पत्रावली खोने की जाँच की जाये, पत्रावली पुन: रिकान्स्ट्रक्ट की जाये एवं मूल प्रस्ताव अलग से प्रस्तुत किया जाये ।

निर्णय लिया गया कि पत्रावली तुरन्त रिकान्स्ट्रक्ट की जाये । जाँच पूर्ण करके जिम्मेदारी निर्धारित की जाये ।

2.4 कलेक्ट्रेट में नक्शे एवं अभिलेख पूर्ण करने के लिये समय बद्ध कार्यक्रम बनाया जाये तथा अमीन आदि की जो नियुक्ति बाकी हो उसे शीघ्र किया जाये । इसके लिये एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाये ।

निर्णय लिया गया कि 31 जुलाई 1980 तक नक्शे व खसरे तैयार कर लिये जायें । सभी कार्यों के लिये नार्म्स निर्धारित कर दिये जायें ।

नजूल भूमि का सर्वे 30-11-1980 तक पूर्ण कर लिया जाये । यह भी सुनिश्चित किया जाये कि 5100 बीघा ज़मीन में से कितनी ग्रामीण क्षेत्र में पड़ती है । इसके सर्वे के लिये नियमानुसार एक प्रोग्राम बनाया जाये तथा स्टाफ़ का टारगेट निर्धारित किया जाये । अनधिकृत अतिक्रमण हटाने के लिये मामले न्यायालय में दायर किये जायें ।

नजूल सम्बन्धी उपरोक्त सभी बातों के लिये एक मासिक टाइमटेबुल बना लिया जाये तथा उसे प्रत्येक माह रिव्यु किया जाये ।

नजूल भूमि पर से अनधिकृत अतिक्रमणों को बल पूर्वक हटाने के लिये ज़ेड०ए०एल०आर०ऐक्ट की धारा-198 को भी देख लिया जाये तथा शासन से अधिनियम में संशोधन करने के लिये पुन: लिखा जाये ।

2.5 नगर की दूर बसी आबादियों से चारबाग़ स्टेशन तक यातायात सुविधा हेतु 50 आटो-रिक्शा का क्रय ।

निर्णय लिया गया कि इस हेतु विज्ञापन शीघ्र दिया जाये ।

2.9 सिन्डर्स डम्प योजना के अन्तर्गत निर्मित 38 दूकानों के आवन्टन के सम्बन्ध में ।

निर्णय लिया गया कि दूकानें शीघ्र आवन्टित की जायें तथा स्कूटर्स एवं गाड़ी रिपेयर्स के लिये एक स्थल भी निर्धारित कर दिया जाये ।

क्रमश:-----2

2·11 भूखाण्ड संख्या:3 मोतीझील सा मिल योजना के अन्तर्गत आवन्टन के सम्बन्ध में शासन के निर्णय तथा विधिक-राय के अनुसार उपाध्यक्ष व्दारा अन्तिम निर्णय लिये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय लिया गया कि शासन को इस सम्बन्ध में भेजे गये पत्र की संख्या और दिनाँक से सूचित किया जाये तथा शासन से इस विषय में निर्णय प्राप्त कर लिया जाये तदुपरान्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण अन्तिम निर्णय ले लें ।

2·14 नक्खास योजना में चिड़िया बाज़ार के समीप के क्षेत्र को अर्जित करके विकसित करने के सम्बन्ध में ।

इस सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि एक उप-समिति गठित की जाये जिसके सदस्य उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, ज़िलाधिकारी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हों, उक्त कमेटी यह इक्ज़ामिन करले कि चिड़िया बाज़ार व उसके समीप के क्षेत्र में बाज़ार में ट्रैफ़िक किस प्रकार रेगुलेट हो । उप-समिति की रिपोर्ट बैठक में तदुपरान्त रखी जाये ।

2·15 शहर के मध्य बटलरगंज स्कीम के भूखाण्ड संख्या-10 की भूमि का अर्जन ।

निर्णय लिया गया कि भूखाण्ड संख्या-10 के विषय में आवास आयुक्त तथा राज्य सम्पत्ति अधिकारी से विचार-विमर्श कर लिया जाये ।

2·16 लखनऊ नगर में कुर्सी रोड पर कैटिल कालोनी की स्थापना के सम्बन्ध में गाइडलाइन्स पर कार्यवाही के निर्देश ।

इस सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि कैटिल कालोनी की स्थापना शीघ्र की जाये तथा इस सम्बन्ध में कृषि-उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक की कार्यवाही भी देख ली जाये ।

4·1 ट्रान्सपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत उपलब्ध भूखाण्डों के विक्रय हेतु रजिस्ट्रेशन तथा प्रार्थना-पत्रों की स्क्रूटनी के सम्बन्ध में

निर्णय लिया गया कि रजिस्टर्ड ऐजेन्सी व ट्रक ओनर्स की स्क्रूटनी करके शीघ्र आवन्टन कर दिया जाये । सभी आवन्टन दिनाँक 31-5-1980 तक पूर्ण कर लिये जायें ।

4·4 गुड्स ट्रान्सपोर्टस वैहिकिल्स को किस प्रकार ट्रान्सपोर्टनगर में जाने के लिये बाध्य किया जा सकता है ।

निर्णय लिया गया कि विधिक राय के अनुसार अग्रिम कार्यवाही शीघ्र की जाये ।

क्रमश:----4

विषय संख्या:3 — बजट में प्रस्तावित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों के विरुद्ध प्रगति आख्या ।

<u>पारित प्रस्ताव</u>: प्रगति का अवलोकन किया गया तथा निर्णय लिया कि प्रगति आख्या में भौतिक एवं वित्तीय प्रगति स्पष्ट रूप से दर्शाई जाये । कानपुर विकास प्राधिकरण एव आवास एवं विकास परिषद् से प्रगति दर्शाने के लिये आवश्यक प्रोफार्में भी मँगा लिये जाये तथा उनका अध्ययन कर लिया जाये ।

यह भी निर्णय लिया गया कि हडको से ऋण लेने के लिये तथा मानेटरिंग के लिये अलग-अलग सेल बना दी जाये ।

विषय संख्या:4 — लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को प्रशासकीय अधिकारों के प्रतिनिधायन के सम्बन्ध में ।

<u>पारित प्रस्ताव</u> : निर्णय लिया गया कि यह देख लिया जाय कि कानपुर विकास प्राधिकरण के सचिव को कौन-कौन से अधिकार दिये गये हैं तथा सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण उनका अध्ययन करके अध्यक्ष को रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया कि वे ~~xxxx~~ सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकारों के प्रतिनिधायन के सम्बन्ध में स्वयं निर्णय ले लें और लिये गये निर्णय से प्राधिकरण को अवगत करा दें । इस सम्बन्ध में अध्यक्ष द्वारा लिया गया निर्णय प्राधिकरण का निर्णय प्राधिकरण का निर्णय होगा ।

विषय संख्या-5: — अलीगंज आवासीय योजना के द्वितीय चरण में सेक्टर "एन" में जनसंख्या के घनत्व तथा मार्गों की चौड़ाई उत्तर प्रदेश बिल्डिंग आपरेशन्स ऐक्ट 1958 में निर्धारित चौड़ाई से कम करने के सम्बन्ध में ।

<u>पारित प्रस्ताव</u> : निर्णय लिया गया कि प्लान को स्वीकृत किया जाता है । घनत्व में छूट देने हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जाये ।

विषय संख्या-6: — लक्ष्मण टीले के पीछे लखनऊ विकास प्राधिकरण के अतिथि-गृह के निर्माण के सम्बन्ध में ।

<u>पारित प्रस्ताव</u> : लक्ष्मण टीले पर अतिथि-गृह निर्माण करने का प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया तथा निर्णय लिया गया कि लखनऊ विकास प्राधिकरण का नया कार्यालय शीघ्र बनवाया जाये । यह अच्छे स्थान पर बनवाया जाये और इस कार्यालय के साथ ही साथ एक अतिथि-गृह का निर्माण किया जाये । कार्यालय बनाने हेतु स्थल का चयन करके प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत कर दिया जाये ।

क्रमशः - - - -5

विषय संख्या-7: लखनऊ विकास प्राधिकरण में दोहरी लेखा-प्रणाली लागू करने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव: निर्णय लिया गया कि दोहरी लेखा प्रणाली विकास प्राधिकरण में अभी लागू न की जाये तथा पहले कानपुर विकास प्राधिकरण से इस विषय में आवास कन्सल्टेण्ट द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की कापी प्राप्त कर ली जाये । तदुपरान्त यह विषय विकास प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाये । यह भी निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की वार्षिक बैलेन्सशीट निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार बनवाई जायें:-

वर्ष जिसकी बैलेन्सशीट बननी है	तिथि जब तक बननी है
1974-75	30-6-1980
1975-76	30-7-1980
1976-77	31-8-1980
1977-78	30-9-1980
1978-79	31-10-1980
1979-80	30-11-1980

यह भी निर्णय लिया गया कि उपरोक्त अवधि अधिकतम 31-12-1980 तक बढ़ाई जा सकती है । अत: समय का पूर्ण रूप से ध्यान रखकर बैलेन्स-शीट तैयार करा ली जाये ।

विषय संख्या:8- लखनऊ नगर में रैन बसेरा स्थापित करने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव : रैन बसेरा की स्थापना स्वीकार की गई तथा निर्णय लिया गया कि रैन-बसेरा की स्थापना हेतु डिजायन व व्ययानुमान शीघ्र बनाये जायें तथा स्थल का चयन करके आवश्यक सूचनाओं के साथ उक्त विषय आगामी बैठक में रखा जाये ।

विषय संख्या-9: विष्णुपुरी कालोनी में सीवर लाइन से छूट देने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव: निर्णय लिया गया कि उक्त विषय में यह सम्भावना भी देख ली जाये कि इस क्षेत्र को आवास एवं विकास परिषद की सीवर लाइन से जोड़ा जा सकता है या नहीं तथा तदनुसार विषय आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय ।

क्रमश:- - - -6

विषय संख्या-10: कोआपरेटिव सोसायटीज़ एवं कालोनाइजर द्वारा प्लान पर तकनीकी रूप से स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् विकास कार्य हेतु ऐग्रीमेण्ट न करने तथा विकास व्यय न जमा करने के कारण उत्पन्न स्थिति पर विचार ।

पारित प्रस्ताव : निर्णय लिया गया कि ऐसी सोसायटीज़ को नोटिस दिया जाये जिन्होने डेवलपमेण्ट चार्ज न दिये हों और इस सम्बन्ध में आवास संघ को भी लिख दिया जाये । कोई भी इण्डिविजुअल प्लान पास न किया जाये जब तक कि ले-आउट पास न हो। अन्य प्राधिकरण द्वारा अपने कोष से विकास कार्य कराने का प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया ।

विषय संख्या-11: किराया-क्रय पद्धति के आधार पर अधिकारियों को भवन आवण्टित करने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव: इस विषय में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

1- इस समय प्राधिकरण के कर्मचारियों को प्राधिकरण द्वारा आवास भवनों में कर्मचारियों द्वारा क्रय करने हेतु 10% का आरक्षण उपलब्ध है । निर्णय लिया गया कि इस आरक्षण के लिये प्राधिकरण के कर्मचारी की परिभाषा में वे सभी कर्मचारी व अधिकारी भी समझे जायेंगे जो किसी भी समय प्राधिकरण में कार्यरत रहे हों तथा तत्पश्चात् अन्यत्र स्थानान्तरित हो जायें अर्थात् प्रतिनियुक्ति पर आने वाले सभी कर्मचारी/अधिकारी तथा केन्द्रीयित सेवा के सभी कर्मचारी/अधिकारी जो भी प्राधिकरण में किसी भी समय कार्यरत रहने के पश्चात् स्थानान्तरित हो जायें । वह स्थानान्तरण उपरान्त भी इस आरक्षण की सुविधा के पात्र होंगे ।

2- यह भी निर्णय लिया गया कि इस परिभाषा को आवण्टन के सामान्य नियमावली में अंकित करके प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदित करा लिया जाये ।

3- सैद्धान्तिक रूप से सन्दर्भित भवन उनके आवण्टियों को किराया-क्रय पद्धति पर दिये जाये परन्तु शर्त यह रहेगी कि उक्त भवनों को लखनऊ विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों अधिकारियों के लिये आरक्षित 10% कोटे में समायोजित किया जायेगा ।

4- इन भवनों की कीमत नियमानुसार निकाली जाये ।

विषय संख्या-12: लखनऊ विकास प्राधिकरण का मूल-बजट 1980-81.

पारित प्रस्ताव : विचार विमर्श के उपरान्त विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 1980-81 का बजट निम्नलिखित संशोधनों के साथ पारित किया गया :-

क्रमशः- - -7.

1- बजट वर्ष 1980-81 के लिये भूखण्डों/साइट-सर्विसिज/भवनों का लक्ष्य क्रमशः 500, 1000 एवं 5000 रखा जाये । तदनुसार वित्तीय प्राविधान भी बजट में निर्धारित कर दिये जायें ।

2- प्राधिकरण में दो सेल शीघ्र ही गठित कर दिये जायें :-

1- ऋण सेल : ऋण प्राप्त करने सम्बन्धी समस्त कार्य करेगा ।

2- मानिटरिंग सेल : प्रोजेक्ट की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करके प्रतिमाह अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को प्रगति से अवगत करायेगा ।

3- ऋण से सम्बन्धित सभी योजनायें शासन को दिनांक 31-5-1980 तक अवश्य भेज दी जायें ।

4- भवनों की लागत को कम करने के सुझाव पर विचार करके लागत कम की जाये । इस सम्बन्ध में यह भी सुझाव दिया गया कि सीमेण्ट मोर्टर के स्थान पर निम्नलिखित अनुपात में मोर्टर का प्रयोग किया जाये :-

एक भाग सीमेण्ट,
एक भाग चूना,
चार भाग फलाई ऐश,
आठ भाग कोर्स सैण्ड ।

5- प्रत्येक अभियन्त्रण कार्य का पर्ट-चार्ट बनाया जाये तथा निर्धारित शेड्यूल बनाकर कार्य सम्पन्न कराया जाये ।

6- शेष विकास कार्य ट्रान्सपोर्ट नगर के पूरे कराये जायें एवं भूखाण्डों का आवन्टन तत्परता से किया जाये ।

7- छितवापुर व्यवसायिक बहुखाण्डी भवन का बिल आफ़ क्वान्टिटी शीघ्र बनवा ली जाये ।

8- कैटिल कालोनी की स्थापना शीघ्र की जाये ।

9- भवन चित्रों की स्वीकृति करने के लिये निम्नलिखित कमेटी बनाने के लिये निर्देश दिया गया :-

सचिव	-	अध्यक्ष
वरिष्ठ नगर नियोजक	-	सदस्य
नगर अभियन्ता (भवन)	-	सदस्य

इस कमेटी के संयोजक का कार्य नगर अभियन्ता (भवन) द्वारा किया जायेगा । यह कमेटी सप्ताह में दो बार बैठक करेगी तथा भवन-चित्रों के मामलों का निस्तारण करेगी । जो भी नक्शे पास होंगे उनके लिये एक मासिक रोस्टर बनाया जाये । यह प्रगति नगर-अभियन्ता (भवन) द्वारा देखी जायेगी । अगर स्वीकृत किये गये भवन चित्र में स्थल पर कोई विचलन (डेवियेशन) हो तो नोटिस देकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी । भवन निर्माण के पश्चात उसका कम्पलीशन सार्टिफिकेट नगर अभियन्ता (भवन) द्वारा प्राप्त किया जायेगा । कम्पलीशन सार्टीफिकेट पर नगर अभियन्ता (भवन) द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे ।

क्रमशः-----8

सभी प्रकार के भवनों के लिये स्टैन्डर्ड भवन चित्र बनवाकर रखे जायेंगे जो जनता से माँगे जाने पर मूल्य लेकर दिये जायेंगे ।

10- यह भी निर्देश दिया गया कि 1980-81 का परफारमेन्स-बजट भी बनाया जाये ।

11- कपुरथला बाग़ में भूखण्ड न बनाकर उच्च आय वर्गीय एवं मध्यम आय वर्गीय भवन निर्मित किये जायें तथा तदानुसार ले-आउट संशोधित कर लिया जाये ।

ह0 ध्यान सिंह वर्मा
(ध्यान सिंह वर्मा)
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

अ नु मो दि त
===========

ह0 गंगा राम
(गंगा राम)
आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष, लखनऊ विकास
प्राधिकरण, लखनऊ ।

दीक्षित/रज़ा